अध्याय-III

नीतिगत वातावरण

2009-10 के दौरान वित्तीय क्षेत्र का नीतिगत ढांचा विवेकपूर्ण नियंत्रणों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाए गए अनेक वैश्विक पहलों द्वारा मार्गदर्शित था ताकि भविष्य में संकट को टाला जा सके। पूंजी प्रभारों और चलनिधि संबंधी अपेक्षाओं में वृद्धि के निर्धारण, विनियमात्मक एवं पर्यवेक्षणात्मक प्रथाओं में सुधार तथा राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों के बीच सीमापार के सहयोग सहित प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के समाधान पर जी-20 तथा अन्य मानक-निर्धारक निकायों द्वारा समंजित तौर पर फोकस किया गया है। वर्ष 2009-10 के दौरान, भारत में नीतिगत माहौल की विशेषता थी - वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता तथा दक्षता में सुधार लाने, वित्तीय समावेशन तथा स्थिरता के लक्ष्य से किए गए प्रयास। साथ ही, अर्थव्यवस्था में आई रिकवरी को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने आर्थिक रिकवरी, वित्तीय स्थिरता तथा समावेशन को प्रोत्साहित करना जारी रखते हुए मुद्रास्फीतिकारी चिंताओं का समाधान करने के लिए मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के बारे में उपाय किए। सामान्य तौर पर वित्तीय बाजारों में वर्ष के दौरान बीच-बीच में सुधार दिखाई दिए, परंतु फिर भी उनमें स्थिरता बनी रही। भारत सरकार तथा रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों तथा सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को कर्ज का प्रवाह सुगम बनाने के लिए तथा स्वरोजगार बढ़ाने के लिए उपाय किए। फोकस वाले सात राज्यों में वित्तीय साक्षरता और समावेशन में सुधार लाने के लिए की गयी पहलें नीतिगत कार्यसूची का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। बैंकों में धोखाधड़ी, विदेशी परिचालनों, वित्तीय संगुटों, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग तथा प्रौद्योगिकी जोखिम से सरोकार रखने वाली चिंताओं से संबंधित पर्यवेक्षणात्मक प्रथाओं का भी समाधान किया गया। साथ ही, ग्राहक सेवा तथा भुगतान और निपटान प्रणाली की दक्षता सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया। महत्वपूर्ण विधिक उपायों में, अंतर-विनियामक मतभेदों का समाधान करने के लिए संयुक्त प्रक्रिया के प्रावधान के लिए संसद द्वारा पारित प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक शामिल है।

1. प्रस्तावना

3.1 2008-09 की तुलना में 2009-10 के दौरान, रिज़र्व बैंक का नीतिगत फोकस संकट के प्रबंधन से हटकर रिकवरी के प्रबंधन की ओर चला गया। 2009-10 के आरंभ तक, यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रति संसर्ग की जोखिम न्यूनतम थी, हालांकि वास्तविक अर्थव्यवस्था में कमजोरी बने रहने से वित्तीय प्रणाली पर कुछ तनाव आया। तीव्रतर रिकवरी के लिए, साल की पहली छमाही के दौरान वृद्धि-समर्थक राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति संबंधी रुख जारी रहा। जीडीपी के पहले वित्तीय बाजार संबंधी कार्यकलापों में सुधार आया तथा पूंजीगत अंतर्वाह वापस आने के साथ रुपए में भी मूल्यवृद्धि हुई। 2009-10 की दूसरी छमाही में वृद्धि की प्रक्रिया के पुनर्जीवित होने के संकेतों के साथ, रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर 2009 तथा उसके बाद से निभावकारी मौद्रिक नीति और तदर्थ उपायों से सुविचारित निकासी की प्रक्रिया शुरू की।

3.2 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में 2009-10 (मार्च-अप्रैल) तथा 2010-11 में अब तक रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय बताए गए हैं। इस अवधि के दौरान किए गए मौद्रिक नीति संबंधी उपायों का संक्षिप्त उल्लेख खण्ड 2 में किया गया है, जिसके बाद कर्ज की सुपुर्दगी के क्षेत्र में शुरू किए गए पहलों की समीक्षा खण्ड 3 में की गयी है। खण्ड 4 में वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों के ब्यौरे दिए गए हैं। विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में शुरू किए गए उपाय खण्ड 5 तथा 6 में दिए गए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) संबंधी पहलें खण्ड 7 में दी गयी हैं। सहकारी बैंक - शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) तथा ग्रामीण कर्ज संबंधी सहकारी संस्थाओं - संबंधी नीतिगत पहलों का उल्लेख खण्ड 8 में किया गया है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं संबंधी उपाय खण्ड 9 में प्रस्तुत किए गए हैं। वित्तीय बाजारों के क्षेत्र की गतिविधियों

को खण्ड 10 में शामिल किया गया है। बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा के क्षेत्र में शुरू की गई गतिविधियां खण्ड 11 में शामिल की गई हैं। इसी तरह, भुगतान और निपटान प्रणाली तथा प्रौद्योगिकीय गतिविधियों संबंधी उपायों का उल्लेख खण्ड 12 तथा खण्ड 13 में किया गया है। खण्ड 14 में विधिक गतिविधियां बतायी गयी हैं तथा खण्ड 15 में इस अध्याय के स्थूल निष्कर्ष निकाले गए हैं।

2. मौद्रिक नीति[1]

3.3 वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में सितम्बर 2008 में चलनिधि में जिस प्रकार का दबाव उत्पन्न हुआ था, उसने रिज़र्व बैंक द्वारा निभावकारी मौद्रिक नीति संबंधी रुख का मार्ग प्रशस्त किया, जो 2009-10 की पहली छमाही के दौरान जारी रहा। पहले के पूर्व-क्रयात्मक उपायों में नीतिगत दरों में, जिनमें रिपो दर, रिवर्स रिपो दर, सीआरआर, एसएलआर शामिल हैं, अधोमुखी संशोधनों की शृंखला तथा अर्थव्यवस्था के विपत्तिग्रस्त क्षेत्रों के निभाव के लिए विशिष्ट पुनर्वित्तीयन पटल शामिल हैं। हालांकि, 2009-10 के दौरान मौद्रिक नीति संबंधी रुख वृद्धि-मुद्रास्फीति की संभावना की बदलती गत्यात्मकता तथा देशी और वैश्विक दोनों स्तरों पर आर्थिक रिकवरी के बारे में अनिश्चितता द्वारा निरूपित था।

3.4 मौद्रिक विस्तार से सुविचारित निकासी अक्तूबर 2009 में शुरू हुई तथा यह 2010-11 के दौरान बाद की तिमाही नीतिगत समीक्षाओं में जारी रही। रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति के विभिन्न उद्देश्यों, यथा वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा वित्तीय स्थिरता के बीच न्यायपूर्ण संतुलन बनाना था। निकासी के चरणों के दौरान नीतिगत प्राथमिकताओं को संतुलित करने के संबंध में यह महत्वपूर्ण हो गया कि 2009-10 के अंत तक बदले हुए वृद्धि-मुद्रास्फीति संबंधी विन्यास को देखते हुए सुविचारित तरीके से नीतिगत दरों को तटस्थ स्तरों तक बढ़ाया जाए।

3.5 2010-11 की पहली तिमाही की समीक्षा में मौद्रिक नीति का रुख तैयार करने में उच्च मुद्रास्फीति नामक प्रमुख चिंता की भूमिका थी। जहां खाद्य कीमत मुद्रास्फीति तथा, अधिक सामान्य तौर पर, उपभोक्ता कीमत मुद्रास्फीति में कुछ कमी दिखायी दी, वहीं वर्तमान दायरा दुहरे अंकों में था। खाद्येतर मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई तथा मांग पक्ष संबंधी दबाव स्पष्ट रूप से दिखायी दिए। अधिक व्यापक आधार वाली देशी रिकवरी को देखते हुए, पहली तिमाही की समीक्षा में 2010-11 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बारे में आधारस्तरीय पूर्वानुमान को बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया। मार्च 2011 के लिए डब्ल्यूपीआइ मुद्रास्फीति के लिए आधारस्तरीय पूर्वानुमान बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया गया। इस आकलन के अनुरूप, रिपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की गयी तथा रिवर्स रिपो दर 50 आधार अंक बढ़ायी गयी। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति की मध्य-तिमाही समीक्षाएं भी शुरू कीं, जिन्हें हर साल जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा मार्च में प्रेस विज्ञप्तियों के रूप में घोषित किया जाना था। 16 सितम्बर 2010 को पहली मध्य-तिमाही समीक्षा की घोषणा की गयी जिसके तहत रिपो तथा रिवर्स रिपो दरों में क्रमशः 25 तथा 50 आधार अंकों की वृद्धि की गयी। 2010-11 में अब तक, मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों का उद्देश्य वृद्धि को बनाए रखने के लिए सहायक वित्तीय स्थितियां बनाए रखते हुए मांग संबंधी दबाव एवं मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति को कम करना था।

3.6 इस प्रकार, अक्तूबर 2009 में निकासी शुरू किए जाने के समय से रिवर्स रिपो दर में 175 आधार अंकों की वृद्धि करके उसे 5.0 प्रतिशत तथा रिपो दर में 125 आधार अंकों की वृद्धि करके उसे 6.0 प्रतिशत कर दिया गया। नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) 100 आधार अंक बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया गया। प्रणाली के भीतर चलनिधि अधिशेष के स्तर से अधिक संतुलित स्तर में चली गयी, तथा इस प्रक्रिया में रिपो दर नीतिगत दर के रूप में उभर कर सामने आया। एक दिवसीय ब्याज दरें भी रिपो दर के पास आ गयीं।

3. कर्ज की सुपुर्दगी

3.7 धारणीय तथा समावेशक आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य पूरा करने के लिए कृषि, सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यमों और निर्यात

[1] ब्योरेवार चर्चा के लिए, रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2009-10 तथा विभिन्न नीतिगत प्रलेख देंगे।

क्षेत्र को कर्ज का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने पर नीति के तहत बल दिया गया है। वैश्विक संकट के संबंध में, कर्ज की सुपुर्दगी को सुकर बनाने के लिए तथा इस प्रकार लघु एवं मझौले उद्यमों (एसएमई) तथा निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए कई उपाय किए गए ।

3.8 1 जुलाई 2010 से आधार दर लागू कर बीपीएलआर पर गठित कार्यदल (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहन्ती) की सिफारिशों को लागू किया गया। चूंकि आधार दर एक ऐसी न्यूनतम दर मानी गयी, जिसके नीचे उधार देना बैंकों के लिए लाभप्रद नहीं होगा, अतः बैंकों को आधार दर के नीचे किसी प्रकार का उधार देने की अनुमति नहीं दी गयी। साथ ही, 2 लाख रुपए तक के उधार के लिए बीपीएलआर की अधिकतम सीमा हटा ली गयी। उधार दरों को अविनियमित किए जाने से कर्ज के मूल्यन की पारदर्शिता में सुधार आने तथा उचित दरों पर छोटे उधारकर्ताओं को कर्ज का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार

3.9 वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) द्वारा प्रदान किए गए 20 लाख रुपए तक के आवास उधारों की औसत संविभाग परिपक्वता के अनुरूप एचएफसी को दिए जाने वाले उधार की अवधि को संबद्ध करें, अन्यथा इस प्रकार के उधार को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों का अंतिम उपयोग कड़ाईपूर्वक सुनिश्चित करें।

कृषि को कर्ज का प्रवाह

किसानों को ब्याज सहायता राहत के लिए दिशानिर्देश

3.10 2006-07 में, सरकार ने किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन कर्ज के संबंध में 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी, ताकि बैंकों द्वारा 7 प्रतिशत पर इस प्रकार का कर्ज़ प्रदान किया जा सके। 2009-10 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गयी थी कि सरकार अनुसूची के अनुसार अल्पावधि फसल उधार चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में एक प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान करेगी। 2010-11 के केंद्रीय बजट में 1.5 प्रतिशत की ब्याज सहायता की घोषणा की गयी तथा अतिरिक्त ब्याज सहायता को बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया।

कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008

3.11 2008-09 के केंद्रीय बजट में कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना, 2008 की घोषणा की गयी, जिसके तहत छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए समग्र 'पात्र राशि' माफ कर दी गयी। 'अन्य' किसान एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना के लिए पात्र थे, जिसके तहत किसान को 'पात्र राशि' के 25 प्रतिशत की छूट इस शर्त पर दी जाएगी कि वह किसान 'पात्र राशि' का शेष 75 प्रतिशत चुका दे।

3.12 भारत सरकार द्वारा घोषित योजना के अनुसार 'अन्य किसान' के लिए उनका हिस्सा (75 प्रतिशत) चुकाने की अंतिम तारीख 30 जून 2009 थी। तथापि, मानसून देरी से आने के कारण, 2009-10 के केंद्रीय बजट में प्रस्ताव किया गया कि इस अवधि को छः महीना बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2009 तक कर दिया जाए। साथ ही, देश के कुछ हिस्सों में सूखा तथा अन्य हिस्सों में भारी वर्षा को देखते हुए, 2010-11 के केंद्रीय बजट में इस तारीख को और बढ़ाकर 30 जून 2010 कर दिया गया।

कृषि उधार के लिए प्रतिभूति/मार्जिन संबंधी मानदण्डों से छूट

3.13 कृषि उधार के लिए मार्जिन/प्रतिभूति संबंधी अपेक्षाओं से छूट की सीमा 18 जून 2010 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र द्वारा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गयी। 1 लाख रुपए तक के कृषि उधारों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति संबंधी अपेक्षाओं से छूट संबंधी प्रावधान, अन्य बातों के साथ-साथ, काश्तकार, बटाईदार तथा मौखिक पट्टेदारों पर लागू है।

सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को कर्ज का प्रवाह

3.14 सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यम (एमएसएमई) संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कार्यबल (अध्यक्ष : श्री टी.के.ए.नायर) गठित किया। इस कार्यबल की सिफारिश की अनुसरण में, 29 जून 2010 को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे एमएसई उधार में सूक्ष्म उद्यमों के 60 प्रतिशत हिस्से संबंधी लक्ष्य को चरणों में प्राप्त करें।

3.15 इस क्षेत्र को कर्ज का प्रवाह और सुगम बनाने के लिए, सूक्ष्म और मझौले उद्यमों के लिए गठित कर्ज़ गारंटी न्यास (सीजीटीएमएसई) की कर्ज़ गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा करने हेतु रिज़र्व बैंक ने एक कार्यदल (अध्यक्ष : श्री वी.के.शर्मा) गठित किया। उक्त कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें हैं - सूक्ष्म तथा लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को संपार्श्विक-मुक्त उधार की सीमा वर्तमान 5 लाख रुपए से अधिदेशात्मक रूप में दुगुना करके 10 लाख रुपए करना, गारंटी कवर की मात्रा में वृद्धि, कतिपय शर्तों पर सीजीटीएमएसई द्वारा संपार्श्विक-मुक्त उधारों के लिए गारंटी शुल्क का अवशोषण, सीजीटीएमएसई के पास दावा दायर करने की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कार्यदल की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, 6 मई 2010 को बैंकों को अधिदेश दिया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को दिए गए 10 लाख रुपए तक के उधारों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार न करें।

10 लाख रुपए तक के आवास उधारों पर 1 प्रतिशत ब्याज सहायता की योजना

3.16 2009-10 के केंद्रीय बजट में 10 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत आवास उधारों के बारे में 1 प्रतिशत ब्याज सहायता की योजना की घोषणा की गई, बशर्ते इकाई की लागत 20 लाख रुपए से अधिक न हो। यह योजना आरंभ में 1 अक्तूबर 2009 से 30 सितंबर 2010 तक एक वर्ष की अवधि के लिए लागू थी। साथ ही, 2010-11 के केंद्रीय बजट में इस योजना का विस्तार 31 मार्च 2011 तक करने की घोषणा की गई।

बैंकिंग के व्यापन में सुधार लाने के उपाय

अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति

3.17 रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए गठित अग्रणी बैंक योजना संबंधी उच्चस्तरीय समिति (अध्यक्षा: श्रीमती उषा थोरात) ने 20 अगस्त 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त सिफारिशों को लागू करने के बारे में व्यापक दिशानिर्देश एसएलबीसी के संयोजक बैंकों तथा अग्रणी बैंकों को जारी किए गए। सभी राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंकों के सीएमडी को सूचित किया गया है कि वे एसएलबीसी की बैठकों को पुनःसशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई शुरू करें :

(i) राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वर्ष में एसएलबीसी की कम-से-कम एक बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अतः सीएमडी से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में व्यक्तिगत ध्यान दें तथा वर्ष के दौरान एसएलबीसी की कम-से-कम एक बैठक में मुख्यमंत्री की सहभागिता को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क करें।

(ii) सीएमडी से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के संदर्भ में इस विषय पर जिला प्रशासन के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था करें।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआइ)

3.18 सरकार ने पूरे देश में ग्रामीण पश्चप्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे के युवकों की शक्ति का दोहन करने के लिए प्रत्येक जिले में आरएसईटीआइ गठित करने का संकल्प किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 तक देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरयूडीएसईटीआइ) प्रकार की एक संस्था स्थापित करने को समर्थन देने की इच्छा प्रकट की। आरएसईटीआइ की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआइआरडी), हैदराबाद, को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। एनआइआरडी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2010 के अंत में विभिन्न बैंकों द्वारा 319 आरएसईटीआइ की स्थापना की गई।

वित्तीय साक्षरता तथा कर्ज समुपदेशन केंद्र (एफएलसीसी)

3.19 वित्तीय साक्षरता तथा कर्ज समुपदेशन केंद्र (एफएलसीसी) संबंधी एक मॉडल योजना तैयार कर उसे सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस सलाह के साथ भेजा गया कि वे बैंक से पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए अलग संस्था के रूप में ऐसे केंद्र स्थापित करें ताकि एफएलसीसी की सेवाएं जिले में स्थित अन्य बैंकों के ग्राहकों को भी उपलब्ध हो सकें। मार्च 2010 तक बैंकों ने विभिन्न राज्यों में 135 कर्ज समुपदेशन केंद्रों के गठन की सूचना दी।

निर्यात कर्ज

3.20 वैश्विक संकट के संदर्भ में तथा निर्यातकों के सामने आनेवाली समस्याओं को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 270 दिनों तक के पोतलदानपूर्व रुपया निर्यात कर्ज पर तथा 180 दिनों तक के पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात कर्ज पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा घटाकर बीपीएलआर से 250 बीपीएस नीचे कर दी। यह सुविधा 30 जून 2010 तक उपलब्ध थी। इसके अलावा, भारत सरकार ने कुछ रोजगार-उन्मुख निर्यात क्षेत्रों, यथा हस्तशिल्प, दरी, हथकरघा तथा छोटे और मझौले उद्यमों के लिए पोतलदानपूर्व तथा पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात कर्ज पर 2 प्रतिशत की ब्याज दर सहायता प्रदान की। 2010-11 के केंद्रीय बजट में 2 प्रतिशत ब्याज दर सहायता को चुनिंदा क्षेत्रों पर 31 मार्च 2011 तक लागू कर दिया गया। 9 अगस्त 2010 को ब्याज दर सहायता योजना का और विस्तार कर उसे चमड़ा एवं चमड़ा विनिर्माताओं, फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्माण, इंजीनियरिंग माल तथा वस्त्र पर 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए लागू किया गया। आधार दर शुरू करने के साथ, रुपया निर्यात कर्ज़ पर लगाई जानेवाली उधार दरों को 1 जुलाई 2010 से अविनियमित कर दिया गया। तथापि, रिज़र्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि बैंक ऊपर विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में आधार दर के अनुसार प्रभार्य ब्याज दर को उपलब्ध ब्याज सहायता की सीमा तक कम कर सकते हैं, भले ही निर्यातकों से वसूली जानेवाली ब्याज दर आधार दर से नीचे चली जाए।

4. वित्तीय समावेशन

3.21 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए हाल के वर्षों में कई पहलें की हैं। इस दिशा में उठाया गया एक उल्लेखनीय कदम यह था कि जनवरी 2006 में रिज़र्व बैंक ने परंपरागत 'ईंटगारा' वाले मॉडल के अलावा बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा कारोबार संपर्की (बीसी) नियुक्त किए जाने के बारे में दिशानिर्देश जारी किया। इस बीसी मॉडल के तहत, बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे बीसी के रूप में कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों (एनजीओ/एसएचजी), सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) तथा अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ), कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियों जैसी विभिन्न संस्थाओं, सेवानिवृत्त सरकारी/ बैंक कर्मचारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

3.22 बीसी मॉडल के अनुभव की परख करने तथा बीसी के रूप में कार्य कर सकनेवाले व्यक्तियों की श्रेणी का विस्तार करने के लिए उपाय सुझाने के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, विनियमात्मक और पर्यवेक्षणात्मक ढांचा तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों को बीसी के रूप में निम्नलिखित की नियुक्ति करने की अनुमति दी गई: किराना/ चिकित्सा/ उचित दर दुकानों के व्यक्तिगत मालिक/ व्यक्तिगत पीसीओ ऑपरेटर, भारत सरकार/ बीमा कंपनियों की अल्प बचत योजनाओं के एजेंट, पेट्रोल पंप के व्यक्तिगत मालिक, सेवानिवृत्त अध्यापक, बैंकों से संबद्ध भलीभांति कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह के प्राधिकृत कार्यकर्ता तथा अन्य कोई ऐसा व्यक्ति जिनमें सामान्य सेवा केंद्र परिचालित करनेवाले शामिल हैं।

3.23 वर्ष 2010-11 के वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, बीसी के रूप में 'लाभार्थ' कंपनियों की नियुक्ति करने संबंधी चर्चापत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 2 अगस्त 2010 को डाला गया। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिपुष्टि को ध्यान में रखते हुए पहले अनुमत व्यक्तियों/ संस्थाओं के अलावा 'लाभार्थ' कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को छोड़कर, की नियुक्ति बीसी के रूप में करने की अनुमति बैंकों को दी गई है।

3.24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ''नो फ्रिल्स खाता'' खोलकर, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तथा सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) जारी कर और एसएचजी के निर्माण एवं उनकी कर्ज सहबद्धता के जरिए सूक्ष्म कर्ज वितरित कर वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पहलें करना जारी रखा। आरआरबी द्वारा जहां तक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रश्न है, समामेलित एवं 'स्टैंडअलोन' आरआरबी के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया। सभी आरआरबी (समामेलित तथा स्टैंडअलोन दोनों) को प्रत्येक 50 शाखाओं के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। साथ ही, 50 तक शाखाएं रखनेवाले आरआरबी किसी अन्य मध्यवर्ती टियर के बिना सीधे मुख्यालय के नियंत्रण में होंगे। साथ ही, इस संबंध में छूट संबंधी अनुरोध, यदि कोई हो, की जांच आरआरबी के बारे में गठित राज्यस्तरीय अधिकारप्राप्त समिति द्वारा की जाएगी।

3.25 नाबार्ड ने रंगराजन समिति की सिफारिश के अनुसार दो प्रकार की निधियों का गठन किया है, यथा वित्तीय समावेशन संबंधी विकासात्मक एवं संवर्धनात्मक हस्तक्षेप की लागत पूरी करने के लिए 'वित्तीय समावेशन निधि' (एफआइएफ) तथा प्रौद्योगिकी अपनाने की लागत पूरी करने के लिए 'वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि' (एफआइटीएफ)। प्रत्येक निधि की समग्र मूलराशि 500 करोड़ रुपए है जिसमें भारत सरकार, रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा निधियों के उपयोग पर निर्भर रहते हुए पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप में 40:40:20 के अनुपात में अंशदान किया जाएगा। 2010-11 के केंद्रीय बजट में, इनमें से प्रत्येक निधि की मूल राशि में 100 करोड़ रुपए की और वृद्धि की गई है।

3.26 इन दो निधियों के लिए दिशानिर्देश तैयार कर पणधारियों के बीच परिचालित किए गए। 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार, एफआइएफ तथा एफआइटीएफ के जरिए वित्तीय समावेशन के तहत 50,255 गांवों को कवर किया गया था।

वित्तीय समावेशन के लिए नाबार्ड-यूएनडीपी के बीच सहयोग

3.27 एफआइएफ/ एफआइटीएफ के तहत शुरू किए गए वित्तीय समावेशन के अलावा, नाबार्ड और यूएनडीपी ने सात सघन राज्यों, अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में वित्तीय समावेशन के लिए सहयोग किया। यह सहयोग भारत सरकार तथा यूएनडीपी के बीच हस्ताक्षरित कंट्री प्रोग्राम ऐक्शन प्लान (सीपीएपी) का एक हिस्सा था। यूएनडीपी के समर्थन से नाबार्ड में सहयोग के लिए 'यूएनडीपी-नाबार्ड वित्तीय समावेशन निधि' नामक एक निधि स्थापित की गई। इस सहयोग का समग्र उद्देश्य वित्तीय उत्पाद और सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है ताकि जोखिम कम की जा सके और कम-से-कम दो राज्यों में गरीबों के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समूहों, अल्पसंख्यकों और विस्थापितों की महिलाओं और पुरुषों के लिए, आजीविका में वृद्धि की जा सके।

आधारभूत सहकारी संस्थाओं के जरिए वित्तीय समावेशन

3.28 वर्ष 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषित किया गया कि उन आधारस्तरीय ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर रूप में समझने की जरूरत है, जिनमें वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभाव्यता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक के समग्र मार्गदर्शन के तहत नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पूरे देश की 'सुचारु रूप से कार्य कर रही' चुनिंदा ग्रामीण सहकारी संस्थाओं (लगभग 220) के बारे में अध्ययन किया जाए।

3.29 नवंबर 2009 में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे मार्च 2011 तक 2000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करें। जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की बैंकिंग सेवाएं ईंटगारे वाली शाखा के जरिए प्रदान की जाएं, इन्हें बीसी के माध्यम सहित आइसीटी-आधारित मॉडलों के विभिन्न प्ररूपों में से किसी भी प्ररूप के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है। बजट में की गयी घोषणाओं के अनुरूप उक्त लक्ष्य प्राप्त करने की तारीख को संशोधित करके मार्च 2012 कर दिया गया है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि मार्च 2011 को मध्यवर्ती लक्ष्य माना जाए। जून 2010 के अंत में, 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में बैंकिंग सुविधा प्रदान किए जाने के लिए लगभग 73,000 गांवों को विभिन्न बैंकों को आबंटित किया गया है।

3.30 बैंकिंग का व्यापन बढ़ाने तथा वित्तीय समावेशन के संवर्धन की दृष्टि से, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के देशी वाणिज्य बैंकों

को जनवरी 2010 में विशेष बोर्ड अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएं (एफआइपी) तैयार करने के लिए सूचित किया गया जिन्हें अगले तीन वर्षों में लागू किया जाना है। बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी कारोबारी रणनीति से मिलती हुई एफआइपी तैयार करें तथा एफआइपी को अपनी कारपोरेट योजनाओं का अभिन्न अंग बनाएं। रिज़र्व बैंक ने कोई एकरूप मॉडल लागू नहीं किया है ताकि प्रत्येक बैंक को उनके कारोबारी मॉडल एवं तुलनात्मक लाभ के अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करने की अनुमति मिल सके।

3.31 आरआरबी की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने उनके प्रायोजक बैंकों को निदेश दिया कि वे सभी आरआरबी में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) तेजी से तथा पूरी तरह लागू करें और इस संबंध में सितंबर 2011 की समय-सीमा का अनुपालन करें। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आरआरबी की व्यापक पहुंच को देखते हुए वित्तीय समावेशन संबंधी प्रयासों को और बढ़ावा मिलने की आशा है।

5. विवेकपूर्ण विनियमन

बासेल II के तहत उन्नत दृष्टिकोणों का कार्यान्वयन

3.32 जोखिम प्रबंधन संबंधी ढांचे में आवश्यक उन्नयन के संबंध में, तथा बासेल II ढांचे के तहत परिकल्पित उन्नत दृष्टिकोण और इस संबंध में उभरती अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति अपनाने से बैंकों को मिलनेवाली पूंजीगत दक्षता के संबंध में, जुलाई 2009 में यह वांछनीय समझा गया कि भारत में उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए एक समय-सीमा तय की जाए। ऐसी आशा की गई थी कि इससे बैंकों को कर्ज़ जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरण हेतु योजना बनाने और तैयारी करने में तथा बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) अपनाने में मदद मिलेगी। विनियामक पूंजी माप के लिए उन्नत दृष्टिकोण लागू करने हेतु निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है:

3.33 तदनुसार, बैंकों को सूचित किया गया कि वे बासेल II प्रलेख में परिकल्पित मानदंडों के संदर्भ में उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरण की अपनी तैयारी के बारे में आंतरिक आकलन करें तथा उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अंतरण संबंधी निर्णय लें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे कोई भी उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन हमेशा प्राप्त किया करें।

3.34 परिचालनात्मक जोखिम हेतु 'मानकीकृत दृष्टिकोण' (टीएसए) तथा 'वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण' (एएसए) संबंधी दिशानिर्देश, जो मोटे तौर पर बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) संबंधी प्रलेख पर आधारित है, 31 मार्च 2010 को जारी किए गए। टीएसए/एएसए के प्रति अंतरण करने के इच्छुक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन के समर्थन में एक लेख सहित रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।

3.35 बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण संबंधी दिशानिर्देश 7 अप्रैल 2010 को जारी किए गए। बासेल II ढांचे में पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए बाजार जोखिमों की माप करते समय दो मोटी पद्धतियों के बीच चुनाव करने का विकल्प है: (i) मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) के अनुसार एक मानकीकृत तरीके से बाजार जोखिम मापना, जिसका उपयोग भारत स्थित बैंकों द्वारा 31 मार्च 2005 से किया जा रहा है; (ii) आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) के नाम से जानी जानेवाली वैकल्पिक पद्धति में बैंकों को अपने आंतरिक बाजार जोखिम माप मॉडलों से प्राप्त जोखिम माप का उपयोग करने की अनुमति होती है। बाजार जोखिम के लिए आइएमए के प्रति अंतरण के लिए इच्छुक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे दिशानिर्देशों के संदर्भ में अपनी तैयारी का आकलन करें तथा उसे अपनाने हेतु अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।

क्रम सं.	दृष्टिकोण	बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करने की पूर्वतम तारीख	रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन की संभावित तारीख
1.	बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए)	1 अप्रैल 2010	31 मार्च 2011
2.	परिचालनात्मक जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए)	1 अप्रैल 2010	30 सितंबर 2010
3.	परिचालनात्मक जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014
4.	कर्ज जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग-आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण (मूल तथा उन्नत आइआरबी)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014

3.36 चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति की हाल की गतिविधियों पर बॉक्स III.1 में चर्चा की गयी है।

टियर II पूंजी जुटाने के लिए अधीनस्थ ऋण का निर्गम

3.37 सितंबर 2009 में बैंकों को कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन 'काल' और 'स्टेप-अप' विकल्प सहित टियर II पूंजी के रूप में अधीनस्थ ऋण जारी करने की अनुमति प्रदान की गई।

गैर-सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश

3.38 चूंकि उन प्रतिभूतियों के निर्गम और सूचीबद्धता के बीच समय का अंतराल होता है, जिन्हें सूचीबद्ध करना प्रस्तावित है परंतु अभिदान के समय सूचीबद्ध नहीं किया गया है, अतः हो सकता है कि बैंक गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में भाग न ले सकें। अतः यह निर्णय लिया गया कि बैंकों द्वारा गैर एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों (प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों) में किए गए ऐसे निवेश को, जहाँ प्रतिभूति को एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर

बॉक्स III.1 : बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति की हाल की गतिविधियां- चलनिधि जोखिम

वित्तीय संकट की एक प्रमुख विशेषता चलनिधि जोखिम का अपर्याप्त/अप्रभावी प्रबंधन था। चलनिधि जोखिम प्रबंधन में सुधार और उनके चलनिधि जोखिम एक्सपोज़र के नियंत्रण के लिए बैंकों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बनी बासेल समिति ने चलनिधि जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण सुदृढ़ करने के लिए वैश्विक ढांचे की आधारशिला के रूप में चलनिधि जोखिम पर्यवेक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय तौर पर सुसंगत दो विनियामक मानकों को विकसित किया है। इन दो मानकों पर बासेल समिति के कार्य को दिसंबर 2009 में समिति द्वारा जारी *''इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर लिक्विडिटी रिस्क मीजरमेंट, स्टैंडर्ड्स एंड मॉनीटरिंग''* नामक परामर्शी पर्चे में दिया गया है। इन दो मानकों को संक्षेप में नीचे वर्णित किया गया है:

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

इस अनुपात का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई बैंक ऐसी अभारग्रस्त, उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियों के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे, जिन्हें पर्यवेक्षकों के द्वारा विनिर्दिष्ट गंभीर चलनिधि तनाव के परिदृश्य में 30 दिन की अवधि के लिए अपनी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नकदी में परिवर्तित किया जा सके। कम-से-कम, तरल आस्तियों का स्टॉक प्रस्तावित तनाव परिदृश्य में बैंक को 30 दिन तक जिंदा रख सके, तब तक यह माना जाएगा कि प्रबंधन और /अथवा पर्यवेक्षकों द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

$$\text{चलनिधि कवरेज अनुपात} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का स्टॉक}}{\text{30 दिन की अवधि में नकदी का निवल बहिर्वाह}}$$

विनिर्दिष्ट परिदृश्य संस्था-विशिष्ट और प्रणालीगत आघात दोनों के लिए आवश्यक है, जो वैश्विक वित्तीय संकट में अनुभव की गई वास्तविक परिस्थितियों पर निर्मित है। परिदृश्य के लिए अपेक्षित है: i) संस्था की सार्वजनिक क्रेडिट रेटिंग में काफी अधिक गिरावट; ii) जमाओं में आंशिक हानि; iii) बेजमानती थोक निधीयन की हानि; iv) सुरक्षित निधीयन हेअरकट में काफी अधिक वृद्धि; और v) प्रतिबद्ध कर्ज और चलनिधि सुविधाओं सहित डेरिवेटिव संपार्श्विक मांगों तथा संविदागत और गैर संविदागत तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र की काफी अधिक मांगों में वृद्धि।

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)

बैंकों की आस्तियों और गतिविधियों के मध्यकालिक और दीर्घकालिक निधीयन को और बढ़ावा देने के लिए, निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) को विकसित किया गया है। यह अनुपात स्थिर निधीयन की एक न्यूनतम स्वीकार्य राशि स्थापित करता है, जो किसी संस्था की आस्तियों की चलनिधि विशेषताओं और एक वर्ष से अधिक की सीमा अवधि में उसकी गतिविधियों पर आधारित हो। यह मानक एक न्यूनतम प्रर्वतन व्यवस्था के रूप में बनाया गया है ताकि वह चलनिधि कवरेज अनुपात मानक को संपूरित कर सके तथा यह उन संस्थाओं के चलनिधि जोखिम प्रोफाइल में संरचनागत परिवर्तनों को बढ़ावा देकर अन्य पर्यवेक्षी प्रयासों पर बल दे जो अल्पकालिक निधीयन बेमेलो से दूर हों तथा आस्तियों और कारोबार गतिविधियों के और स्थिर, दीर्घकालिक निधीयन की ओर अग्रसर हों।

$$\text{निवल स्थिर निधीयन अनुपात} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ)}}{\text{अपेक्षित स्थिर निधीयन (आरएसएफ)}}$$

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) को किसी संस्था की कुल राशि के रूप में परिभाषित किया गया है: (i) पूंजी ; (ii) एक वर्ष के समान अथवा उससे अधिक परिपक्वता वाला अधिमान्य स्टॉक; (iii) एक वर्ष अथवा अधिक प्रभावी परिपक्वता वाली देयताएं; (iv) 'स्थिर' गैर परिपक्वता वाले जमाओं के अंश और/अथवा एक वर्ष से कम परिपक्वता वाली मीयादी जमाराशियां, जिनके प्रकृति-विशिष्ट तनाव की स्थिति में विस्तारित अवधि के लिए संस्था के पास बने रहने की आशा है।

स्थिर निधीयन की अपेक्षित राशि की गणना संस्थाओं द्वारा रखी गई और निधीकृत आस्तियों के मूल्यों के कुल जोड़ के रूप में प्रत्येक विशेष आस्ति प्रकार के लिए समनुदेशित एक विशिष्ट अपेक्षित स्थिर निधीयन (आरएसएफ) कारक के द्वारा गुणा करके की गई है, जिसे ओबीएस (तुलनपत्रेतर) गतिविधि (अथवा संभावित चलनिधि एक्सपोज़र) की राशि में जोड़ करके और इससे संबद्ध आरएसएफ कारक से गुणा करके निकाला जाता है। प्रत्येक आस्ति के सूचित मूल्य अथवा ओबीएस एक्सपोज़र के लिए लागू आरएसएफ कारक उस मद की राशि है जिसके बारे में पर्यवेक्षकों का विश्वास है कि उसका स्थिर निधीयन के द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए।

एलसीआर के अंतर्गत निवल नकदी बर्हिवाह तथा एनएसएफआर के अधीन एएसएफ तथा आरएसएफ कारक तक पहुंचने के लिए इन दो मानकों अर्थात तरल आस्तियों की परिभाषा, 'रन ऑफ' और 'रोलओवर' कारक आदि से संबंधित और अधिक परिष्कृत ब्यौरों पर विचार किया जा रहा है।

सूचीबद्ध कराया जाना प्रस्तावित हो, निवेश करते समय सूचीबद्ध प्रतिभूति में किए गए निवेश के रूप में माना जाए। तथापि, यदि ऐसी प्रतिभूति को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचीबद्ध नहीं कराया जाता, तो उसे गैर सूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए विनिर्दिष्ट 10 प्रतिशत की सीमा के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

बुनियादी ढांचा संबंधी कार्यकलापों में संलग्न कंपनियों द्वारा जारी किए गए बांडों में बैंकों द्वारा निवेश

3.39 बुनियादी ढांचा के वित्तपोषण के लिए एससीबी को प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से, बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाएं निष्पादित करने का कार्य करने वाली कंपनियों द्वारा जारी किए गए दीर्घावधि बांडों में, जिनकी न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता सात वर्ष हो, उनके द्वारा किए गए निवेश को गैर-एसएलआर बांडों में परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किए जाने की अनुमति दी गयी।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बैंकों के एक्सपोज़र को नियंत्रित करने वाले विवेकपूर्ण मानदंडों में आशोधन

3.40 अप्रैल 2010 में, बैंकों को सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में बनाओ-परिचालित करो-अंतरित करो (बीओटी) मॉडल के तहत प्राप्त वार्षिकी तथा शुल्क (टोल) वसूली संबंधी अधिकारों को, जहां एक स्तर तक ट्रैफिक का लक्ष्य प्राप्त न होने पर परियोजना के प्रवर्तक को मुआवजा देने का प्रावधान हो, इस शर्त पर गोचर प्रतिभूति के रूप में मानने की अनुमति दी गयी कि वार्षिकी प्राप्त करने तथा टोल वसूली संबंधी बैंकों के अधिकार विधिक रूप में प्रवर्तनीय तथा अप्रतिसंहरणीय हों। अवमानक के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले बेजमानती बुनियादी ढांचा उधार खातों पर वर्तमान 20 प्रतिशत के बजाए 15 प्रतिशत का प्रावधानीकरण लागू होगा।

अनर्जक आस्ति स्तरों की गणना

3.41 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बीच सकल अनर्जक आस्तियों की रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को सितम्बर 2009 में यह सूचित किया गया कि किसी खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर अनर्जक आस्ति खातों में पहले से नामे डाले गए परंतु वसूल न किए गए ब्याज को प्रतिवर्तित कर दिया जाना चाहिए तथा आगे ब्याज लगाना भी बंद कर दिया जाना चाहिए।

प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण मानदंड

3.42 वैश्विक संकट के संक्रमण से निपटने के लिए किए गए नीतिगत उपायों के अंग के रूप में, प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में नवम्बर 2008 में जोखिम भारों तथा प्रावधानीकरण संबंधी निर्धारणों को शिथिल किया गया। तथापि, पिछले एक साल में वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र को दिए गए कर्ज़ में हुई बड़ी वृद्धि को तथा इस क्षेत्र में पुनर्रचित अग्रिमों की मात्रा को देखते हुए, वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र में मानक आस्तियों पर अपेक्षित प्रावधान को 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर नवम्बर 2009 में 1 प्रतिशत कर दिया गया ताकि आस्ति की गुणवत्ता में संभावित गिरावट के विरुद्ध कुशन का निर्माण किया जा सके। अक्तूबर 2009 में यह निर्णय लिया गया कि बैंकों को अपने प्रावधानीकरण संबंधी कुशन को, जिनमें अनर्जक आस्तियों के प्रति विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा चल प्रावधान शामिल हों, बढ़ाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चल प्रावधानों सहित उनका कुल प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात सितंबर 2010 तक 70 प्रतिशत से कम न हो।

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों में आशोधन

3.43 'कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं' पर यथालागू आस्ति वर्गीकरण संबंधी दिशा-निर्देशों को मार्च 2010 में आशोधित किया गया ताकि उन मामलों में कुछ लचीलापन प्रदान किया जा सके जिनमें परियोजनाओं, विशेष रूप से बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं, को पूरा करने में देरी हुई हो। बुनियादी ढांचा संबंधी जिस परियोजना का परिचालन नियत तारीख को शुरू न हो सके, उसके लिए दिए गए बुनियादी ढांचा परियोजना उधार को वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होने की मूल तारीख से अधिकतम चार वर्ष (पहले अनुमत दो वर्ष की तुलना में) के लिए मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना अब जारी रखा जा सकता है। इसी तरह, नियत तारीख को वाणिज्यिक परिचालन शुरू न होने पर बुनियादी ढांचा से इतर परियोजना उधार को भी अधिकतम एक साल की अवधि तक (पहले अनुमत छः महीनों की तुलना में) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करना भी जारी रखा जा सकता है। ये आशोधन उच्चतर प्रावधान की अपेक्षा सहित कतिपय शर्तों के अधीन हैं।

अनर्जक आस्तियों का समझौता/बातचीत से/एकबारगी निपटान

3.44 जून 2010 में बैंकों को सूचित किया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए कि समझौता निपटान एक उचित एवं पारदर्शी तरीके से तथा रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करते हुए किए जाएं। अतः यह भी निर्णय लिया गया कि अब से समझौता/एकबारगी निपटान स्वीकृत करने वाले अधिकारी/प्राधिकारी को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर यह बताना चाहिए कि समझौता निपटान रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किए गए हैं।

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत रखे गये निवेशों की बिक्री

3.45 अगस्त 2010 में यह निर्णय लिया गया कि यदि एचटीएम श्रेणी को/से प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक हो, तो बैंकों को एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों का बाजार मूल्य प्रकट करना चाहिए तथा बाजार मूल्य की तुलना में बही मूल्य जितना अधिक हो, जिसके लिए प्रावधान न किया गया हो, उसे दर्शाना चाहिए।

तुलनपत्र में वर्गीकरण - पूंजीगत लिखतें

3.46 बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2010 को समाप्त वित्त वर्ष से तुलनपत्र में निम्नलिखित वर्गीकरण अपनाएं:

अनुसूची 1 - पूंजी के तहत : शाश्वत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)

अनुसूची 4 - उधार के तहत (i) नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखतें (आइपीडीआइ); (ii) बांड/डिबेंचर के रूप में जारी संकर ऋण पूंजीगत लिखतें; (iii) शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस); (iv) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस); (v) प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस); (vi) अधीनस्थ ऋण।

लेखों पर टिप्पणी में बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण

3.47 15 मार्च 2010 के परिपत्र में निर्धारित फार्मेट में बैंकों के तुलनपत्रों में लेखों पर टिप्पणी के तहत बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण किया जाना था। इनका संबंध जमाराशियों के संकेंद्रण, अग्रिमों, एक्सपोज़रों तथा अनर्जक आस्तियों; क्षेत्र-वार अनर्जक आस्तियों; अनर्जक आस्तियों की आवाजाही; बैंकों द्वारा प्रायोजित एसपीवी की विदेशी आस्तियों, अनर्जक आस्तियों तथा राजस्व एवं तुलनपत्र बाह्य मदों से है।

3.48 बैंकों से अपेक्षित है कि वे क्षेत्र-वार अनर्जक आस्तियों (उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के प्रति अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत) को प्रकट करने के अलावा बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं/उधारकर्ताओं के कुल जमा/अग्रिम/एक्सपोज़र तथा चार सबसे बड़े अनर्जक आस्ति खातों के प्रति कुल एक्सपोज़र; विदेशी आस्तियों के बारे में अनर्जक आस्तियों की आवाजाही संबंधी जानकारी अर्थात परिवर्धन, उन्नयन, वसूली तथा बट्टे खाते डालने, अनर्जक आस्तियों और राजस्व तथा बैंकों द्वारा प्रवर्तित एसपीवी के बारे में तुलनपत्र-बाह्य मदों के बारे में जानकारी प्रकट करें।

भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति

3.49 पहले चरण में, मार्च 2005-मार्च 2009 के बीच पहली बार भारत में मौजूद होने के इच्छुक विदेशी बैंक या तो शाखा के माध्यम से अथवा 100 प्रतिशत पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) गठित करके परिचालन करने के बीच चुनाव कर सकते हैं। भारत में पहले से परिचालित विदेशी बैंकों को इस बात की अनुमति भी दी गयी कि वे उपस्थिति की एक रीति संबंधी मानदंड का अनुसरण करते हुए उनकी मौजूदा शाखाओं को डब्ल्यूओएस में परिवर्तित कर सकते हैं। डब्ल्यूओएस को भारत में शाखा विस्तार के लिए विदेशी बैंकों की वर्तमान शाखाओं के समतुल्य माना जाना था। तथापि, किसी विदेशी बैंक ने स्वयं को डब्ल्यूओएस के रूप में स्थापित करने अथवा पहले चरण में डब्ल्यूओएस में परिवर्तित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

3.50 जब अप्रैल 2009 में भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी की पुनरीक्षा की जानी थी, उसी समय वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल आ गया तथा विश्व भर में बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता

के बारे में अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गयीं। तदनुसार, अप्रैल 2009 के वार्षिक नीति वक्तव्य में भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति को नियंत्रित करने वाली वर्तमान नीति और प्रक्रियाएं जारी रखने का तथा वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और रिकवरी के संबंध में अधिक स्पष्टता आने पर पणधारियों से उचित परामर्श के बाद रोडमैप की समीक्षा करने का इरादा व्यक्त किया गया।

निजी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा शेयरों का निर्गम और मूल्यनिर्धारण

3.51 रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2010 में दिशानिर्देश जारी कर अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआइपी) के संबंध में अनुमोदन की प्रक्रिया स्पष्ट की। अब से, निजी क्षेत्र के बैंकों को क्यूआइपी के मामले में पूर्व 'सैद्धांतिक' अनुमोदन हेतु रिज़र्व बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। एक बार आबंटन पूरा होने पर, बैंकों से यह भी अपेक्षा होगी कि वे निर्गम के संपूर्ण ब्यौरे कार्योत्तर अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

शून्य कूपन बांडों (जेडसीबी) में निवेश संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड

3.52 रिज़र्व बैंक द्वारा सितम्बर 2010 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अब से जेडसीबी में उस समय तक निवेश नहीं करना चाहिए जब तक निर्गमकर्ता सभी उपचित ब्याज के लिए ऋणशोधन निधि का निर्माण न कर ले तथा उसे तरल निवेशों/ प्रतिभूतियों में निवेशित न रखे।

6. पर्यवेक्षण तथा पर्यवेक्षणात्मक नीति

3.53 वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण का महत्व विनियमन के समान माना जाता है क्योंकि इससे बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के प्रति रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न विनियामक नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित होगा। 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का गठन किया गया ताकि वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण पर पूरा ध्यान दिया जा सके। 2009-10 के दौरान बीएफएस द्वारा निपटाए गए कुछ प्रमुख मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी की निगरानी, बैंकों के विदेशी परिचालनों का पर्यवेक्षण, वित्तीय संगुटों का पर्यवेक्षण शामिल था।

समेकित पर्यवेक्षण तथा वित्तीय संगुट (एफसी) निगरानी प्रक्रिया

3.54 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थों की निगरानी के बारे में गठित कार्यदल (संयोजक: श्रीमती श्यामला गोपीनाथ) की सिफारिशों पर भारत में जून 2004 से वित्तीय संगुट (एफसी) की निगरानी की प्रक्रिया लागू है। एफसी के निगरानी ढांचे में प्राथमिक तौर पर दो प्रमुख घटक हैं: (i) तिमाही रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के जरिए परोक्ष निगरानी, तथा (ii) अन्य प्रमुख विनियामकों के सहयोग से एफसी की प्रमुख संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ छमाही चर्चा।

वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण के लिए हाल की पर्यवेक्षणात्मक पहलें

3.55 बीएफएस के निदेशों के अनुसार, बैंक के एक आंतरिक दल ने वित्तीय संगुटों (एफसी) के लिए विनियामक/पर्यवेक्षणात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए कुछ प्रस्तावों की सिफारिश की। बीएफएस तथा अन्य विनियामकों (सेबी और आइआरडीए) के सम्यक् अनुमोदन के बाद, इन प्रस्तावों को लागू करने के बारे में कदम उठाए गए हैं। प्रस्तावों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति निम्नानुसार है:

एफसी के रिपोर्टिंग फार्मेट में संशोधन

3.56 रिज़र्व बैंक के अधिकार-क्षेत्र के तहत आनेवाले एफसी के लिए संशोधित तिमाही परोक्ष रिपोर्टिंग फार्मेट मार्च 2010 को समाप्त तिमाही से शुरू किया गया। अंतःसमूह लेनदेनों तथा एक्सपोजरों के अलावा, संशोधित विवरणी में सकल/निवल अनर्जक आस्ति अथवा अशोध्य ऋण, 'क्षत आस्तियों' के लिए किए गए प्रावधान, धोखाधड़ी तथा 'अन्य आस्तियों' के बारे में भी जानकारी मांगी गई है।

निगरानी के लिए एफसी की पहचान

3.57 अभिज्ञात एफसी की सूची में उस समूह को शामिल किया जाता है जिसकी वित्तीय बाजार के कम-से-कम दो खंडों, जिनमें बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूति (म्यूच्युअल फंड), जमा लेनेवाली तथा

जमा न लेनेवाली एनबीएफसी शामिल हैं, में उल्लेखनीय तौर पर उपस्थिति हो।

3.58 अप्रैल 2010 में, रिज़र्व बैंक ने बाजार जोखिम की निगरानी के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए, जिनके अनुसार बैंक निवल आधार पर विदेशी शाखाओं सहित समूचे बैंक की (एकल स्तर) बाजार जोखिम स्थितियों के प्रति आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए) लागू कर सकते हैं, उन अधिकार-क्षेत्रों में स्थित शाखाएं अपवाद होंगी जहां लाभ के त्वरित पुनःप्रत्यावर्तन में बाधाएं हैं अथवा जहां वैश्विक आधार पर जोखिमों के समय पर प्रबंधन में विधिक और प्रक्रियागत कठिनाइयां हैं। साथ ही, अलग-अलग बैंकों को उनके विदेशी परिचालनों की बाजार जोखिमों पर अलग से निगरानी भी रखते रहना चाहिए।

बैंकों में धोखाधड़ी की निगरानी संबंधी गतिविधि

बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली - अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की भूमिका

3.59 16 सितंबर 2009 को बैंकों को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन तथा धोखाधड़ी अन्वेषण कार्य की जिम्मेदारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उसके बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति तथा बोर्ड की विशेष समिति की होगी, कम-से-कम उच्च मूल्यवाली धोखाधड़ी के संबंध में। तदनुसार, उन्हें नियंत्रण की प्रणालीगत विफलता अथवा मुख्य नियंत्रणों के अभाव अथवा वर्तमान नियंत्रणों में अत्यधिक कमजोरी के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिनकी वजह से अपवादात्मक रूप से बड़े मूल्य की धोखाधड़ी तथा विशिष्ट कारोबार खंडों में धोखाधड़ी में तीव्र वृद्धि होती है जिसकी वजह से बैंक को बड़ी मात्रा में हानि उठानी पड़ती है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने बोर्डों के अनुमोदन से धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन तथा धोखाधड़ी अन्वेषण कार्य के लिए आंतरिक नीति निर्धारित करें।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नियंत्रण, अभिशासन तथा प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन मानकों पर उच्चस्तरीय दल का गठन

3.60 धोखाधड़ी निगरानी कक्ष ने एक विशेष अध्ययन करके एटीएम/ डेबिट कार्डों में धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं तथा बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग परिचालनों को कवर किया। यह प्रकट किया गया कि इस प्रकार की धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शा रही हैं। उक्त अध्ययन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी को सुकर बनानेवाले कारक/ कमियां शामिल हैं, के निष्कर्षों के आधार पर वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11 में निम्नलिखित की जांच करने तथा उपयुक्त विनियामक अनुक्रिया सुझाने के लिए श्री जी.गोपालकृष्णा, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठित करने की घोषणा की गई।

- आइटी तथा सूचना सुरक्षा अभिशासन एवं संबद्ध प्रक्रियाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को जारी दिशानिर्देशों में वृद्धि का सुझाव;
- भारत में हाल के विधानों से उत्पन्न बैंकों के आइटी संबद्ध निहितार्थों की जांच करना;
- ई-बैंकिंग संबंधी धोखाधड़ियों का विश्लेषण तथा सुसंगत नियंत्रण एवं प्रक्रिया में उपयुक्त वृद्धि का सुझाव देना;
- ई-बैंकिंग के बारे में विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा तथा सुधार, यदि कोई हो, का सुझाव देना;
- ई-बैंकिंग प्रणालियों के संबंध में ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के उपाय और साधन का सुझाव देना;

धनशोधन निवारण

3.61 नवंबर-दिसंबर 2009 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) तथा धनशोधन पर एशिया पैसिफिक समूह (एपीजी) के संयुक्त मूल्यांकन दल द्वारा भारत के धनशोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण से संघर्ष (एएमएल/सीएफटी) ढांचे का मूल्यांकन किया गया। उनकी रिपोर्ट में उन क्षेत्रों की पहचान की गई जहां एएमएल/सीएफटी संबंधी ढांचे में अंतराल/ खामियां थीं, जिनके लिए सांविधिक और/अथवा विनियामक कार्रवाई जरूरी थी, और इसमें उन क्षेत्रों को भी नोट किया गया जिनमें स्पष्ट प्रगति दिखाई दी।

3.62 मूल्यांकन रिपोर्ट में वित्तीय संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षणात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ पाया गया तथा उसमें बैंकों द्वारा किए गए प्रणालीगत तथा लेनदेन संबंधी उल्लंघनों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा की गई दांडिक कार्रवाई को स्वीकार किया गया। विदेशी शाखाओं तथा भारतीय बैंकों की सहायक संस्थाओं के संबंध में एफएटीएफ मानकों का पूरा अनुपालन किया गया है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, बैंकों को सूचित किया गया कि जहां धनशोधन/ आतंकवाद वित्तपोषण के बारे में संदेह हो अथवा ऐसा महसूस हो कि ग्राहक कम जोखिमवाला नहीं है, वहां उन्हें पूरी तरह से ग्राहक के बारे में सम्यक् समवेक्षा (सीडीडी) करनी चाहिए। साथ ही, पेशेवर मध्यस्थों द्वारा खोले गए ग्राहक खातों के मामलों में यह स्पष्ट किया गया है कि बैंकों को इस प्रकार के खाते खोलने अथवा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां पेशेवर मध्यस्थ की यह बाध्यता हो कि वह अपने ग्राहकों की सही पहचान अथवा लेनदेनों का प्रयोजन प्रकट नहीं करेगा। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे 'शेल' बैंकों के साथ अथवा अपने खातों का उपयोग 'शेल' बैंकों द्वारा किए जाने की अनुमति देनेवाले बैंकों के साथ संपर्की संबंध स्थापित न करें।

3.63 विनियमनों में पहचान किए गए अंतरालों का समाधान करने के लिए सरकार ने धनशोधन निवारण नियमावली, 2005 में भी संशोधन किया। 'लाभेतर संगठन' (एनपीओ) को परिभाषित करने के लिए संशोधन किया गया तथा एनपीओ की 10 लाख रुपए से अधिक की सभी प्राप्तियों की सूचना देने की अपेक्षा बैंकों से की गयी। अब बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से यह भी अपेक्षित है कि वे ऐसे गैर खाता-आधारित ग्राहक की पहचान का सत्यापन करें जो एकल लेनदेन के रूप में, अथवा ऐसे कई लेनदेन के रूप में, जो परस्पर संबद्ध प्रतीत होते हों, 50,000 रुपए से अधिक का लेनदेन करता हो।

3.64 भारत को जून 2010 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के सदस्य के रूप में स्वीकृत किया गया है।

नए बैंक दिशा-निर्देश

3.65 2010-11 के केंद्रीय बजट में की गयी घोषणा के बाद, रिज़र्व बैंक ने 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषित किया कि नए बैंकों को लाइसेन्स देने के बारे में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं, भारतीय अनुभव तथा स्वामित्व एवं शासन (ओएण्डजी) संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देश के बारे में एक चर्चा पत्र तैयार कर उसे व्यापक अभिमत और प्रतिपुष्टि के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला जाएगा। उक्त चर्चा पत्र 11 अगस्त 2010 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अभिमत के लिए डाला गया तथा प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर ब्यौरेवार दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.66 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भारतीय बैंकिंग प्रणाली का अभिन्न अंग हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने पर फोकस किया जाता है। भारत सरकार ने एक चरणबद्ध तरीके से सितंबर 2005 में आरआरबी के समामेलन की प्रक्रिया शुरू की। समामेलन की प्रक्रिया के पहले, 27 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा एक राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्रवर्तित 196 आरआरबी देश में कार्य कर रहे थे जिनके पास 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार 523 जिलों में 14,484 शाखाओं का नेटवर्क था। समामेलन के फलस्वरूप, आरआरबी की संख्या घटकर 26 राज्यों तथा एक केंद्रशासित प्रदेश में 82 रह गयी जिनके द्वारा 619 जिलों को कवर किया गया था तथा 31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार उनके पास 15,475 शाखाओं का नेटवर्क था।

आरआरबी का पुनःपूंजीकरण

3.67 भारत सरकार ने आरआरबी के जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के वर्तमान स्तर का अध्ययन करने तथा मार्च 2012 तक 9 प्रतिशत सीआरएआर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोडमैप सुझाने हेतु सितंबर 2009 में एक समिति (अध्यक्षः डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) का गठन किया। समिति से यह भी अपेक्षा की गयी कि वह आरआरबी के कारोबार के स्तर को देखते हुए उनके लिए पूंजी की अपेक्षित संरचना का सुझाव दे ताकि उनका सीआरएआर धारणीय हो और उसमें भविष्य की वृद्धि के लिए प्रावधान हो और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए। इस समिति ने 30 अप्रैल 2010 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी (बॉक्स III.2)।

बॉक्स III.2: आरआरबी के पुन:पूंजीकरण पर बनी समिति की सिफारिशें

आरआरबी के पुन:पूंजीकरण पर बनी समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) समिति ने सभी 82 आरआरबी के लिए पूंजी अपेक्षा का मूल्यांकन किया, ताकि वे 31 मार्च 2011 को सीआरएआर को कम-से-कम 7 प्रतिशत कर सकें तथा 31 मार्च 2012 से आगे कम-से-कम 9 प्रतिशत कर सकें । 82 आरआरबी में से 40 के लिए 2,200 करोड़ रुपए के पुन:पूंजीकरण की आवश्यकता होगी। इस राशि को दो किस्तों में जारी किया जा सकता है अर्थात 2010-11 में 1,338 करोड़ रु पए और 2011-12 में 863 करोड़ रुपए। शेष 42 आरआरबी को किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी और वे 31 मार्च 2012 तथा उसके बाद अपने आप न्यूनतम 9 प्रतिशत सीआरएआर को रख सकेंगे।

(ii) समिति ने पाया कि कुछ कमजोर आरआरबी, विशेष रूप से उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी क्षेत्रों में, सामान्य रूप से स्वीकार्य वृद्धि प्राप्त करने के बावजूद पूर्वानुमानित कारोबार के सभी मानदंडों का पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर सकेंगे। इसलिए समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि रखी जा सकती है तथा एक बार ऐसे आरआरबी के तुलनपत्र का मसौदा तैयार हो जाने पर उन्हें आवश्यकता-आधारित अतिरिक्त पुन:पूंजीकरण प्रदान किया जा सकता है।

(iii) 40 आरआरबी के लिए 2,200 करोड़ रुपए का पुन:पूंजीकरण एकबारगी उपाय होना चाहिए, और इसे आरआरबी के अध्यक्ष द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने के अधीन तथा एमओयू में विनिर्दिष्ट कार्यनिष्पादन मानदंड पूरे करने पर जारी किया जाना चाहिए।

(iv) आरआरबी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, आरआरबी की प्राधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपए है। परिणामस्वरूप, पुन:पूंजीकरण राशि को शेयर पूंजी जमा के रूप में रखा गया है। समिति ने सिफारिश की है कि 31 मार्च 2010 को संचित हानियां उपलब्ध शेयर पूंजी जमाराशियों के विरुद्ध बट्टे खाते में डाली जा सकती हैं, और शेयर पूंजी जमाराशियों की शेष राशि को चुकता पूंजी की तरह विनियोजित किया जा सकता है। इसके अलावा, आरआरबी के बढ़ते कारोबार को देखते हुए, समिति ने आरआरबी की प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है।

(v) जनता में विश्वास को पैदा करने के लिए, यथासमय, उच्च निवल मालियत वाले आरआरबी को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति दी जाए।

(vi) आरआरबी की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए, अपेक्षानुसार प्रवर्तक बैंकों के बदलाव पर विचार किया जाए।

(vii) मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 100 करोड़ रुपए अथवा अधिक की निवल मालियत वाले आरआरबी को 1 अप्रैल 2013 से आगे लाभांश भुगतान करने की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान चरण में पुन:पूंजीकृत किए जाने वाले आरआरबी को केवल तभी लाभांश अदा करने की अनुमति दी जा सकती है, जब वे न्यूनतम 9 प्रतिशत के धारणीय सीआरएआर को प्राप्त कर लें।

(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक आरआरबी के अध्यक्षों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड निर्धारित कर सकता है। प्रवर्तक बैंक पदावधि आधार पर अध्यक्ष के रूप में ऐसे मानदंड को पूरा करने वाले अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर सकता है और, जहां जरूरी हो, उनके द्वारा ऐसे अधिकारियों की भर्ती खुले बाजार से की जा सकती है तथा इसके पश्चात उन्हें आरआरबी में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष के मुआवजे को वाणिज्य बैंकों के मौजूदा वेतन ढांचे से वियुक्त किया जा सकता है तथा उसे और अधिक बाजार-अभिमुख बनाया जा सकता है तथा मुआवजा पैकेज में बोर्ड अनुमोदित कार्यनिष्पादन बेंचमार्क से संबद्ध प्रोत्साहन और हतोत्साहन करने की प्रणाली शुरू की जा सकती है।

(ix) एक निकाय के रूप में बोर्ड तथा बोर्ड के अलग-अलग सदस्यों को बैंक के कार्य-निष्पादन के लिए जवाबदेह बनाया जा सकता है तथा बोर्ड के अलग-अलग सदस्यों को उनकी विशेषज्ञता के अनुसार विशिष्ट जिम्मेदारी दिए जाने की आवश्यकता है।

(x) जब भी जरूरत हो, प्रवर्तक बैंक, उनकी अपनी सेवाओं में आरआरबी के स्टाफ सहित, बाजार से उपयुक्त व्यक्तियों की भर्ती कर सकता है और तत्पश्चात् उनको आरआरबी में महाप्रबंधक के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकता है।

(xi) आरआरबी द्वारा बोर्ड की एक लेखा-परीक्षा समिति का गठन किया जाए और आरआरबी में समवर्ती लेखा-परीक्षा और प्रबंध लेखा-परीक्षा शुरू करने को प्रोत्साहित किया जाए।

(xii) आरआरबी स्टाफ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की एक निधि बनाई जाए।

(xiii) केंद्र और राज्य दोनों सरकारें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अपनी जमाओं को रखने के लिए आरआरबी को शामिल करें।

(xiv) आरआरबी के कार्यनिष्पादन पर छमाही आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निगरानी रखी जाए। प्रवर्तक बैंक और नाबार्ड तिमाही आधार पर कार्यनिष्पादन की समीक्षा करें। आरआरबी का बोर्ड नियमित आधार पर कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेगा।

आरआरबी की प्रौद्योगिकी का उन्नयन

3.68 उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने तथा केंद्रीकृत बैंकिंग समाधान (सीबीएस) की ओर अंतरित होने के लिए आरआरबी को तैयार करने हेतु, उनके प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए रिज़र्व बैंक ने एक कार्यदल (अध्यक्ष: श्री जी. श्रीनिवासन) का गठन किया। उक्त रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ सीबीएस में सभी आरआरबी को अंतरित करने के लिए सितंबर 2011 को लक्ष्य तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया कि सितंबर 2009 के बाद खोली गयी आरआरबी की सभी

शाखाएं पहले दिन से ही सीबीएस-अनुपालित हों। प्रायोजक बैंकों से प्राप्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 22 आरआरबी ने सीबीएस का पूर्ण अनुपालन किया गया है तथा शेष 60 आरआरबी में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

आरआरबी द्वारा निवेशों का वर्गीकरण

3.69 एसएलआर प्रतिभूतियों में आरआरबी के निवेशों के संबंध में उन्हें बाजार भाव पर दर्शाने से आरआरबी को वित्त वर्ष 2008-09 तक दी गयी छूट एक और वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2009-10 तक बढ़ा दी गयी।

मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा

3.70 आरआरबी के लिए, यह निर्णय लिया गया कि 'मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकृत वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा बढ़ाकर 1 प्रतिशत कर दी जाए। जहां तक अन्य मानक आस्तियों का संबंध है, यह निर्णय लिया गया है कि जहां कृषि एवं एसएमई क्षेत्रों को दिए गए प्रत्यक्ष अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा 0.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रहेगी, वहीं अन्य सभी उधार एवं अग्रिमों के लिए यह 0.40 प्रतिशत होगी।

क्षमता निर्माण अपेक्षा संबंधी समिति

3.71 श्री अमरेश कुमार, ईडी, नाबार्ड की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने आरआरबी की क्षमता निर्माण अपेक्षाओं के बारे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं।

i. आरआरबी के पास सुनिश्चित प्रशिक्षण नीति होनी चाहिए तथा उसे मानव पूंजी पर निवेश के रूप में माना जाना चाहिए।

ii. हर साल उक्त प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा एक निश्चित बजट अनुमोदित किया जाना चाहिए।

iii. सभी स्टाफ के लिए एक व्यवस्थित टीएनए (प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण) किया जाए।

iv. मोबाइल कार्य प्रशिक्षकों की सहायता से आरआरबी द्वारा अधिक स्थल कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।

v. 100 से अधिक शाखाओं वाले आरआरबी के पास उनके अपने प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए।

पर्यवेक्षणात्मक तथा विनियमात्मक पहलें

i. 2009-10 के दौरान नाबार्ड ने 61 आरआरबी का सांविधिक निरीक्षण किया;

ii. आरआरबी तथा सहकारी बैंकों दोनों के लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षण विभागों के प्रमुखों के लिए आंतरिक जांच एवं नियंत्रण प्रणालियों पर क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया;

iii. वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआइयू-आइएनडी) के कहने पर, धनशोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रति संघर्ष (सीएफटी) संबंधी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए आरआरबी के अध्यक्षों की दो बैठकें तथा सहकारी बैंकों एवं आरआरबी की तीन राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित की गयीं।

iv. आरआरबी तथा सहकारी बैंकों के लेखा-परीक्षकों और अन्य कार्मिकों के लिए केवाइसी (अपने ग्राहक को जानें)/एएमएल, सीएमए (कर्ज निगरानी व्यवस्था), सांविधिक लेखा-परीक्षा, धोखाधड़ी, निवेश, आंतरिक जांच एवं नियंत्रण, तथा कारपोरेट अभिशासन पर संवेदनशीलता कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

8. सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

3.72 हाल के वर्षों में यूसीबी क्षेत्र की प्रमुख नीतिगत पहलों में विज़न दस्तावेज 2005 का कार्यान्वयन, वित्तीय पुनर्रचना के लिए पहल तथा आस्ति देयता प्रबंधन शामिल हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान यूसीबी क्षेत्र की प्रमुख नीतिगत पहलें निम्नानुसार हैं:

नए बैंक लाइसेन्स

3.73 बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति के समेकन और सुधार के फलस्वरूप, अप्रैल 2010 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषणा की गयी कि एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें यूसीबी को नए लाइसेंस देने के औचित्य का अध्ययन करने के लिए सभी पणधारियों को शामिल किया जाएगा। तदनुसार, श्री

वाइ.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ पिछले दशक में यूसीबी के निष्पादन की समीक्षा करेगी; नए यूसीबी के संगठन की आवश्यकता तथा नए यूसीबी को स्थापित करने संबंधी वर्तमान विनियामक नीति की समीक्षा करेगी; नए यूसीबी के लिए प्रवेशस्तर के मानदंड निर्धारित करेगी; इस बात की जांच करेगी कि क्या लाइसेंस देने को संपरिवर्तन मार्ग के जरिए सिर्फ वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुप्रबंधित सहकारी ऋण समितियों तक प्रतिबंधित रखा जा सकता है; तथा सुदृढ़ यूसीबी की वृद्धि को सुकर बनाने के लिए विधिक एवं विनियामक ढांचे संबंधी सिफारिशें करेगी।

परिचालन क्षेत्र

3.74 सुदृढ़ एवं भलीभांति कार्य करने वाले एक राज्य के टियर II यूसीबी की आंगिक वृद्धि का मार्ग खोलने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि उन यूसीबी के लिए परिचालन क्षेत्र का विस्तार उनके पंजीकरण के संपूर्ण राज्य में करने के अनुरोध पर विचार किया जाए, जो ग्रेड I बैंक की वित्तीय स्थिति के अनुरूप हों। ऐसे अनुरोधों पर विचार करते समय, रिज़र्व बैंक उस बैंक में प्रचलित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा पर्यवेक्षणात्मक सुविधा पर सम्यक् रूप में विचार करेगा।

कार्यस्थल से दूर एटीएम खोलना

3.75 2010-11 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषित किया गया कि सुप्रबंधित यूसीबी को वार्षिक कारोबार योजना के जरिए अनुमोदन प्राप्त किए बिना कार्यस्थल से दूर एटीएम स्थापित करने की अनुमति होगी। ऐसे अनुरोधों पर विचार करते समय, रिज़र्व बैंक निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति पर सम्यक् रूप में विचार करेगा।

सीएसजीएल खातों का रखरखाव

3.76 रिज़र्व बैंक ने 200 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक निवल मालियत वाले एवं 10 प्रतिशत तथा उससे अधिक सीआरएआर वाले यूसीबी को सीएसजीएल खाते खोलने तथा उनका रखरखाव करने की अनुमति प्रदान की।

क्रेडिट सूचना कंपनियां

3.77 चूंकि यूसीबी क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उपधारा (च) में परिभाषित क्रेडिट संबंधी संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं, अतः उन्हें सूचित किया गया कि वे अधिनियम के तहत पंजीकृत कम-से-कम एक क्रेडिट सूचना कंपनी का सदस्य बन जाएं।

बाजार जोखिम के लिए पूंजी

3.78 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर गठित बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बाजार जोखिम शामिल करने के लिए 1996 में पूंजी समझौता में संशोधन जारी किया। बाजार जोखिमों के लिए पूंजी अपेक्षा निर्धारित करने के शुरुआती कदम के रूप में, यूसीबी को सूचित किया गया कि वे लगभग समग्र निवेश संविभाग पर 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त जोखिम भार लगाएं। इन अतिरिक्त जोखिम भारों को यूसीबी के निवेश संविभाग के संबंध में क्रेडिट जोखिम के लिए निर्धारित जोखिम भारों के साथ समूहित किया जाएगा। यूसीबी को यह भी सूचित किया गया कि वे विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण पर खुली स्थिति संबंधी सीमाओं पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार लगाएं तथा अपने निवेश संविभाग में ट्रेडिंग के लिए धारित और बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी में रखे गए निवेश के न्यूनतम 5 प्रतिशत तक निवेश घटबढ़ रिज़र्व बनाएं।

गैर एसएलआर निवेश

3.79 गैर सूचीबद्ध गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में (न्यूनतम निर्धारित रेटिंग के अधीन) यूसीबी का निवेश किसी भी समय कुल गैर एसएलआर निवेशों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। चूंकि प्रतिभूतियों के निर्गम एवं उनकी सूचीबद्धता के बीच समय का अंतराल होता है, अतः अभिदान के समय सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित परंतु सूचीबद्ध न की गयी गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को 10 प्रतिशत की सीमा से मुक्त रखा गया है। इस बात पर विचार करते हुए कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में संलग्न कंपनियों द्वारा जारी किए गए दीर्घावधि बांड आम तौर पर लंबी अवधि के लिए रखे जाते हैं तथा उनमें ट्रेडिंग नहीं होती, ऐसी कंपनियों द्वारा जारी किए गए गैर एसएलआर बांडों में, जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता सात वर्ष की हो, यूसीबी के निवेश को एचटीएम श्रेणी में रखने की अनुमति होगी।

कमजोर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का समाधान

3.80 ऐसे कमजोर शहरी सहकारी बैंकों से निपटने के लिए, जहां यूसीबी क्षेत्र के भीतर से विलय के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, कमजोर बैंकों के समाधान के अतिरिक्त विकल्प के रूप में डीआइसीजीसी के समर्थन से यूसीबी की आस्तियां एवं देयताएं (शाखाओं सहित) वाणिज्य बैंकों को अंतरित करने की योजना परिकल्पित की गई है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 24 फरवरी 2010 को ब्यौरेवार दिशानिर्देश जारी किए।

ग्रामीण सहकारी बैंक (राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक)

3.81 वर्ष 2009-10 के दौरान, पर्यवेक्षण संबंधी मामलों पर राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीतिगत पहलें की गईं।

3.82 आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण मानदंडों के बारे में विवेकपूर्ण मानदंड वर्ष 2009-10 से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) पर लागू किए गए तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) को ब्यौरेवार दिशानिर्देश जारी किए गए। साथ ही, अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के पुनर्जीवन के संबंध में वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, वर्ष के दौरान पीएसीएस के लिए जोखिम-भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात की गणना संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए।

3.83 भारत सरकार के पुनर्जीवन पैकेज (वैद्यनाथन समिति) तथा एडीडब्ल्यूडीआर योजना 2008 के तहत पुनःपूंजीकरण सहायता के रूप में अल्पावधि सहकारी कर्ज़ संरचना (एसटीसीसीएस) में बड़ी मात्रा में निधियों के अंतर्वाह को देखते हुए, बैंकों को न्यायोचित रूप में निधियों के उपयोग के प्रति सतर्क किया गया।

3.84 मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की भूमिका की तुलना में बैंकों में 'धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली' संबंधी दिशानिर्देश सभी सहकारी बैंकों को जारी किए गए।

3.85 कर्ज़ जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) तथा कारोबार सातत्य योजना (बीसीपी) संबंधी मार्गदर्शन नोट एसटीसीबी/डीसीसीबी के बीच परिचालित किए गए, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर सकें।

3.86 रिज़र्व बैंक द्वारा नाबार्ड की सिफारिश पर घोषित की गई संशोधित लाइसेंसिंग नीति के फलस्वरूप, 9 एसटीसीबी तथा 132 डीसीसीबी को पिछली तीन तिमाहियों के दौरान लाइसेंस जारी किए गए तथा इस प्रकार लाइसेंसप्राप्त एसटीसीबी तथा डीसीसीबी की कुल संख्या क्रमशः 23 तथा 207 हो गई।

9. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियामक पहलें

3.87 2009-10 के दौरान वैश्विक तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में आई रिकवरी को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने एचएफसी/एनबीएफसी/एमएफआइ को तथा निर्यातकों को आगे उधार देने के लिए 2008-09 के दौरान एआइएफआइ के लिए शुरू किए गए चलनिधि समर्थन उपायों को निम्नानुसार वापस लियाः (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के सुसंगत प्रावधानों के तहत सिडबी, एक्ज़िम बैंक तथा एनएचबी को दिसंबर 2008 में स्वीकृत क्रमशः 7,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए तथा 4,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधाओं को 31 मार्च 2010 को कारोबार की समाप्ति से वापस ले लिया गया, (ii) सिडबी, एनएचबी तथा एक्ज़िम बैंक द्वारा 'छत्र सीमा' के तहत जुटाई गई निधियों सहित जुटाए गए समस्त संसाधनों की अधिकतम सीमा एक वर्ष की अवधि के लिए 8 दिसंबर 2008 से कुछ शर्तों के अधीन बढ़ा दी गई। समीक्षा करने पर, एआइएफआइ के लिए संसाधन जुटाने संबंधी मानदंडों में चुनिंदा एआइएफआइ (सिडबी, एनएचबी तथा एक्ज़िम बैंक) को दिसंबर 2008 में अनुमत छूट पुनर्वित्त सुविधा के साथ समाप्त कर दी गई। तदनुसार, एआइएफआइ की बकाया उधार राशियों को 31 मार्च 2010 से सामान्य विवेकपूर्ण सीमा, अर्थात सकल संसाधनों पर एनओएस के 10 गुने की अधिकतम सीमा तथा एनओएफ के एक गुने की छत्र सीमा, के भीतर रखने की अपेक्षा की गई।

3.88 सहायता संघ व्यवस्था/बहुल बैंकिंग व्यवस्था के तहत उधार संबंधी दिशानिर्देश, अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण कवरेज, चल प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड,

'लेखा पर टिप्पणी' में अतिरिक्त प्रकटीकरण तथा अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - अनर्जक आस्तियों के स्तर की गणना तथा बैंकों को जारी कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं आवश्यक परिवर्तन सहित 1 जुलाई 2010 से चुनिंदा एआइएफआइ पर लागू कर दी गईं। साथ ही, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/ धनशोधन निवारण (एएलएम) मानदंड/ आतंकवाद के वित्तपोषण से संघर्ष (सीएफटी) तथा परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत रखे गए निवेशों की बिक्री के बारे में बैंकों को जारी दिशानिर्देश भी चुनिंदा एआइएफआइ पर लागू किए गए।

मुद्रा फ्यूचर्स में भाग लेना

3.89 एनबीएफसी को सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त नामोद्दिष्ट मुद्रा फ्यूचर्स एक्सचेंजों में ग्राहकों के रूप में सिर्फ उनके अंतर्निहित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के बचाव के प्रयोजन के लिए, इस मामले में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन, भाग लेने की अनुमति दी गई है।

ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण (एनबीएफ-एएलएम3) प्रस्तुत करना

3.90 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को सूचित किया गया है कि वे संबंधित छमाही की समाप्ति के 20 दिनों के भीतर ब्याज दर संवदेनशीलता संबंधी विवरणी (एनबीएफ-एएलएम3) प्रस्तुत कर दिया करें।

एनबीएफसी के लिए ब्याज दर फ्यूचर्स

3.91 एनबीएफसी को सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त नामोद्दिष्ट ब्याज दर फ्यूचर्स एक्सचेंजों में ग्राहकों के रूप में, सिर्फ उनके अंतर्निहित एक्सपोजरों के बचाव के प्रयोजन के लिए, इस मामले में रिज़र्व बैंक/ सेबी के दिशानिर्देशों के अधीन, भाग लेने की अनुमति दी गई है।

उपयुक्त और उचित मानदंड

3.92 किसी जमा लेनेवाली एनबीएफसी के शेयरों के अधिग्रहण/ अभिग्रहण अथवा जमा लेनेवाली एनबीएफसी के किसी अन्य संस्था के साथ विलय/समामेलन अथवा किसी संस्था के जमा लेनेवाली एनबीएफसी के साथ ऐसा विलय/समामेलन, जिससे अभिग्रहणकर्ता/ अन्य संस्था को जमा लेनेवाली एनबीएफसी का नियंत्रण प्राप्त हो जाए, के मामले में रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होगा। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार का विलय/समामेलन करने पर प्रबंधन के सामान्य स्वरूप को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों का अनुपालन करना होगा।

चिट फंड कंपनियों द्वारा जमा स्वीकार किया जाना

3.93 विविध गैर बैंकिंग कंपनियों (एमएनबीसी) के रूप में वर्गीकृत चिट फंड कंपनियां शेयरधारकों से जमा स्वीकार कर सकती हैं परंतु उन्हें जनता से जमा स्वीकार करने से मना किया गया है। उन्हें परिपक्वता पर सार्वजनिक जमाराशियों की चुकौती करने के लिए सूचित किया गया है।

एनबीएफसी की नयी श्रेणी - बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी

3.94 बुनियादी ढांचा क्षेत्र को कर्ज प्रदान करनेवाली कंपनियों द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि ''बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी''(आइएफसी) नामक एनबीएफसी की चौथी श्रेणी शुरू की जाए। बुनियादी ढांचा उधार में कुल आस्तियों के कम-से-कम 75 प्रतिशत का नियोजन करनेवाली कंपनियों को, जिनके पास 300 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधियां हैं, जिनकी न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग 'ए' अथवा समतुल्य है; तथा जिनका सीआरएआर 15 प्रतिशत (10 प्रतिशत न्यूनतम टियर I पूंजी सहित) है, इस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा तथा उन्हें अपनी स्वाधिकृत निधियों के 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि एकल/समूह उधारकर्ता को उधार देकर वर्तमान कर्ज संकेंद्रण मानदंडों को पार करने की अनुमति होगी।

एनबीएफसी द्वारा विदेशी निवेश

3.95 एनबीएफसी द्वारा रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के विनियामक अनुमोदन के बिना विदेशी निवेश किया जाना फेमा विनियमावली 2004 का उल्लंघन है। अतः विदेश में किसी प्रकार का निवेश करने की इच्छुक सभी एनबीएफसी को इस प्रकार का निवेश करने के पहले रिज़र्व बैंक से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

आवास परियोजनाओं के लिए वित्त - सूचना का प्रकटीकरण

3.96 एनबीएफसी को सूचित किया गया है कि आवास/विकास परियोजनाओं के लिए वित्त मंजूर करते समय, उन्हें शर्तों के एक अंग के रूप में यह विनिर्दिष्ट करना चाहिए कि: (क) बिल्डर/डेवलपर/स्वामी/कंपनी पैम्फलेट/ब्रोशर/विज्ञापन आदि में उस संस्था/उन संस्थाओं का/के नाम दर्शाएंगे, जिसे संपत्ति बंधक रखी गयी है तथा यह कि वे अपेक्षित होने पर फ्लैट/संपत्ति की बिक्री के लिए बंधकग्राही संस्था का अनापत्ति प्रमाणपत्र/उसकी अनुमति उपलब्ध कराएंगे, (ख) बिल्डर/डेवलपर/स्वामी/कंपनी द्वारा उक्त अपेक्षाएं पूरी न की जाने पर निधियां जारी नहीं की जानी चाहिए।

प्रतिभूतिकरण कंपनी तथा पुनर्रचना कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2010 द्वारा उधारकर्ता के कारोबार में परिवर्तन अथवा प्रबंधन का अधिग्रहण

3.97 इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य उधारकर्ता के कारोबार का उचित प्रबंधन है ताकि प्रतिभूतिकरण कंपनियां/पुनर्रचना कंपनियां (एससी/आरसी) उधारकर्ता के कारोबार में परिवर्तन करके अथवा प्रबंधन का अधिग्रहण करके तथा संबंधित मामलों से उधारकर्ताओं से अपनी देय राशियां वसूलने में समर्थ हो सकें।

प्रतिभूतिकरण कंपनी तथा पुनर्रचना कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश तथा निदेशावली, 2003 - संशोधन

3.98 एससी/आरसी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा बाजार अनुशासन लाने की दृष्टि से, अन्य बातों में, वर्ष के दौरान वसूल की गयी आस्तियों, वर्ष के अंत में समाधान न की गयी वित्तीय आस्तियों के मूल्य, मोचन के लिए लंबित प्रतिभूति प्राप्तियों के मूल्य से सम्बद्ध अतिरिक्त प्रकटीकरण निर्धारित किए गए हैं। अब यह एससी/आरसी के लिए अधिदेशात्मक बना दिया गया है कि वे प्रत्येक योजना तथा प्रत्येक वर्ग के तहत उनके द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों की बकाया राशि के न्यूनतम पांच प्रतिशत हिस्से में निवेश करें तथा उसे तब तक बनाए रखें जब तक किसी विशेष योजना के तहत जारी सभी प्रतिभूति प्राप्तियों का मोचन न हो जाए।

एनबीएफसी द्वारा शारीरिक रूप से बाधित/दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उधार सुविधाएं

3.99 एनबीएफसी को सूचित किया गया है कि विकलांगता के आधार पर शारीरिक रूप से बाधित/दृष्टिबाधित आवेदकों को उधार सुविधाओं सहित कोई सुविधा तथा उत्पाद प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

सांविधिक लेखा-परीक्षक द्वारा बैंक को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

3.100 प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को उसके सांविधिक लेखा-परीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है कि वह गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार में संलग्न है जिसके लिए रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-आइए के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र रखना अपेक्षित है। 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार सांविधिक लेखा-परीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र हर वर्ष अधिक-से-अधिक 30 जून तक गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना है जिसके अधिकार-क्षेत्र के तहत वह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत हो।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक

राजनैतिक रूप से एक्सपोज्ड व्यक्तियों (पीईपी) के खाते

3.101 राजनैतिक रूप से एक्सपोज्ड व्यक्तियों (पीईपी) तथा उनके परिवार के सदस्यों अथवा निकट संबंधियों पर लागू ग्राहक सम्यक समवेक्षा (सीडीडी) संबंधी उपायों के बारे में ब्यौरेवार दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान ग्राहक अथवा वर्तमान खाते के लाभार्थी स्वामी के बाद में पीईपी बन जाने की स्थिति में, एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को व्यावसायिक संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए तथा वह खाता पीईपी श्रेणी के ग्राहकों पर यथालागू सीडीडी उपायों, सतत आधार पर बढ़ी हुई निगरानी सहित, के अध्यधीन होना चाहिए।

प्रधान अधिकारी

3.102 एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सूचित किया गया था कि उन्हें एक वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति प्रधान अधिकारी के रूप में करनी चाहिए तथा प्रधान अधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व के ब्यौरे उसमें दिए गए हैं। यह सूचित किया गया कि प्रधान अधिकारी एवं अन्य उपयुक्त स्टाफ की समय पर पहुंच ग्राहक पहचान आंकड़ों तथा अन्य सीडीडी जानकारी, लेनदेन रिकार्डों और अन्य सुसंगत जानकारी तक होनी चाहिए। साथ ही, एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रधान अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके तथा वरिष्ठ प्रबंधन अथवा निदेशक बोर्ड को सीधे रिपोर्ट कर सके।

धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 - संशोधन

3.103 एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) को सूचित किया गया था कि वे धनशोधन निवारण (लेनदेनों के स्वरूप एवं मूल्य के रिकार्डों का रखरखाव, रखरखाव की प्रक्रिया एवं विधि तथा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय और बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यस्थों के ग्राहकों की पहचान संबंधी रिकार्डों का सत्यापन एवं रखरखाव) नियमावली, 2005 (पीएमएलए नियमावली) के अनुसार घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के लेनदेनों के सभी आवश्यक रिकार्ड एनबीएफसी (आरएनबीसी सहित) और ग्राहक के बीच किए गए लेनदेन की तारीख से कम-से-कम दस वर्ष तक रखें। तथापि, ग्राहक की पहचान तथा उनके पते संबंधी रिकार्ड (अर्थात पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, यूटीलिटी बिल आदि) खाता खोलते समय तथा कारोबारी संबंध के दौरान प्राप्त किए जाएं और कारोबारी संबंध समाप्त होने के बाद कम-से-कम दस वर्ष तक उनका परिरक्षण किया जाए।

पूंजी पर्याप्तता - संपार्श्विकीकृत उधार लेने तथा देने संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) के जरिए दिए गए उधार पर जोखिम भार

3.104 प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेनों (सीबीएलओ) के कारण सीसीआइएल के प्रति एनबीएफसी के एक्सपोज़र से उत्पन्न प्रतिपक्षकार कर्ज जोखिम पर शून्य जोखिम भार होगा, क्योंकि यह माना जाता है कि सीसीपी के उसके प्रतिपक्षकारों के प्रति एक्सपोज़र को दैनिक आधार पर पूर्णतः संपार्श्विकीकृत किया जाता है, इस प्रकार सीसीपी के कर्ज जोखिम एक्सपोज़रों के लिए संरक्षण प्रदान किया जाता है। सीसीआइएल के पास एनबीएफसी द्वारा रखी गयी जमाराशियों/संपार्श्विकों पर 20 प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण से संघर्ष (सीएफटी)

3.105 वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर उजबेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साओ टोम तथा प्रिन्सिप की एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में मौजूद कमियों से उत्पन्न जोखिमों के बारे में 16 अक्तूबर 2009 को एक वक्तव्य जारी किया। तदनुसार सभी एनबीएफसी तथा आरएनबीसी को सूचित किया जाता है कि वे ईरान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साओ टोम तथा प्रिन्सिप की एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में मौजूद कमियों से उत्पन्न जोखिमों को हिसाब में लें।

एफडीआइ मानदंडों का अनुपालन - एनबीएफसी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों से छमाही प्रमाणपत्र

3.106 स्वचालित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत एफडीआइ रखने वाली एनबीएफसी से अपेक्षित है कि वे छमाही (सितंबर तथा मार्च को समाप्त छमाही) आधार पर अपने सांविधिक लेखा-परीक्षकों से प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर एफडीआइ की वर्तमान शर्तों का अनुपालन किया जाना प्रमाणित करें। इस प्रकार का प्रमाणपत्र उस प्रमाणपत्र से संबद्ध छमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी के मुख्यालय को पंजीकृत कराया गया हो।

गारंटी जारी करने वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआइ - संकेंद्रण मानदंडों से छूट लागू करना

3.107 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ गारंटियां भी जारी करती हैं तथा इन गारंटियों के न्यागमन के लिए सार्वजनिक निधियों तक पहुंच अपेक्षित है। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को सूचित किया

गया था कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली ऐसी कोई एनबीएफसी, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक निधियां स्वीकार नहीं करती या गारंटियां जारी नहीं करती, कर्ज के संकेंद्रण/निवेश मानदंडों के संबंध में निर्धारित अधिकतम सीमा में छूट/आशोधन के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करे।

एनबीएफसी-एनडी-एसआइ विनियमावली लागू करना

3.108 100 करोड़ रुपए आस्ति आकार वाली जमा न लेने वाली एनबीएफसी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतः एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे 100 करोड़ रुपए का आस्ति आकार पा लेने पर समय-समय पर एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को जारी किए गए रिज़र्व बैंक के विनियमनों का अनुपालन करें, चाहे किसी भी तारीख को ऐसा आकार प्राप्त किया गया हो तथा आस्ति आकार में अस्थायी कटौती होने के मामले में भी वर्तमान निदेशों का अनुपालन जारी रखें।

प्राथमिक व्यापारी

3.109 वर्ष 2009-10 के दौरान, प्राथमिक व्यापारी संबंधी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कई नीतिगत पहलें की गयीं। पहला, स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारियों को पिछले वित्त वर्ष में मार्च के अंत में उनकी लेखा-परीक्षित निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की मात्रा तक सरकारी प्रतिभूति संबंधी अपने संविभाग के एक हिस्से का वर्गीकरण एचटीएम श्रेणी के तहत करने की अनुमति दी गई है। दूसरा, प्राथमिक व्यापारियों के लिए एनओएफ की न्यूनतम अपेक्षाओं को 1 अप्रैल 2010 से 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया। विशाखीकृत कार्यकलाप करने के लिए अनुमत प्राथमिक व्यापारियों के लिए न्यूनतम एनओएफ अपेक्षा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए कर दी गयी है। तीसरा, विनियामक द्वारा लगाए गए दंड के प्रकटीकरण की सवोत्तम प्रथाओं के अनुरूप तथा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक व्यापारी से वसूले गए दंड के ब्यौरे सार्वजनिक डोमेन पर रखे जाएं। इस दंड को पीडी के तुलनपत्र में 'लेखों पर टिप्पणी' में भी प्रकट किया जाना अपेक्षित है। चौथा, 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना डीएनबीएस.193 डीजी (वीएल)-2007 में निर्धारित कर्ज़/निवेश के संकेंद्रण संबंधी मानदंड, जिन्हें 30 जून 2010 तक अद्यतन किया गया है, स्टैंडअलोन पीडी पर लागू कर दिए गए।

10. वित्तीय बाजार

3.110 2009-10 के दौरान, वित्तीय बाज़ारों में व्यवस्थित रूप में कामकाज हुआ। मुद्रा बाज़ार की ब्याज दरें सामान्यतः चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) दर कारिडोर के निचले स्तर के नजदीक रहीं क्योंकि चलनिधि की समग्र स्थिति अधिशेष की स्थिति में बनी रही। 2009-10 की पहली छमाही में चलनिधि के मुख्य वाहक थे - रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार के शेष, खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) की अनवाइंडिंग । सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में बाजार से उधार लिए जाने के कारण 2009-10 में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल पर कुछ ऊर्ध्वमुखी दबाव आया। तथापि, रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन से इसे नियंत्रित किया जा सका। निजी क्षेत्र से कर्ज की कम मांग से भी प्रतिफल पर ऊर्ध्वमुखी दबाव नियंत्रित करने में मदद मिली। वर्ष के दौरान इक्विटी बाजार आम तौर पर दृढ़ बने रहे तथा बीच-बीच में वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप उसमें करेक्शन देखा गया। सार्वजनिक निर्गमों के जरिए संसाधन संग्रहण में वृद्धि हुई। 2009-10 में आवास की कीमतों में उछाल आया। रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार, वे मुंबई में संकट के पहले के उच्च स्तर को पार कर गईं। विनिमय दर में गुरुतर लचीलापन दिखाई दिया।

3.111 वैश्विक वित्तीय बाजार में सामान्यता आने, देशी चलनिधि की सुगम स्थिति तथा व्यापार कर्ज की स्थितियों में सुधार होने के साथ, पहले के कुछ उपायों को या तो कम कर दिया गया या वापस ले लिया गया। रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को प्रदान की गई बढ़ी हुई निर्यात पुनर्वित्त कर्ज सीमा संबंधी सुविधाओं (15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत)को कम करके 27 अक्तूबर 2009 को संकट-पूर्व स्तर पर लाया गया।

3.112 बुनियादी ढांचा के भीतर कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भंडारण के लिए क्षेत्र स्तर की प्री-कूलिंग को शामिल करके उसकी परिभाषा का विस्तार किया गया। समन्वित टाउनशिप के विकास में संलग्न कंपनियों को 31 दिसंबर 2010 तक अनुमोदन मार्ग के तहत ईसीबी प्राप्त करने की

अनुमति दी गई है। अनुमोदन मार्ग के तहत ईसीबी के माध्यम से अंतरण वित्तपोषण की योजना की अनुमति दी गई है ताकि नई परियोजनाओं के विकास के लिए बुनियादी ढांचा संबंधी सेक्टरों, यथा समुद्री पत्तन तथा हवाई पत्तन, पुलों सहित सड़क एवं पावर सेक्टर, के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। संकट की अवधि में शुरू की गई तथा आरंभ में जून 2010 तक उपलब्ध एफसीसीबी के पुनःक्रय की योजना को बाद में अनुमोदन मार्ग के तहत जून 2011 तक बढ़ा दिया गया। सेवा क्षेत्र अर्थात होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर के उधारकर्ताओं को अब तक विदेशी मुद्रा के लिए और /अथवा अनुमेय अंतिम उपयोगों हेतु रुपया पूंजी व्यय के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 मिलियन अमरीकी डालर तक ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति थी। और अधिक उदारीकरण संबंधी उपाय के रूप में, अनुमोदन मार्ग के तहत इन विशिष्ट सेवा क्षेत्रों के उधारकर्ताओं को 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक ईसीबी प्राप्त करने की अनुमति दी गई। तथापि, कर्ज बाजार की स्थितियों में सुधार तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कर्ज के स्प्रेड में कमी को देखते हुए, अनुमोदन मार्ग के तहत कुल लागत संबंधी अधिकतम सीमा में अनुमत छूट को 1 जनवरी 2010 से समाप्त कर दिया गया।

3.113 बाह्य लेनदेनों में प्रक्रियागत बाधाओं तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए नीतिगत पहलों को भी सुदृढ़ किया गया है ताकि पूंजी खाता के उदारीकरण की प्रक्रिया को अधिक सार्थक बनाया जा सके। भारतीय निक्षेपागार रसीदों (आइडीआर) के निर्गम संबंधी दिशानिर्देशों को जुलाई 2009 में परिचालित कर दिया गया, इस प्रकार विदेशी कंपनियों को भारतीय पूंजी बाजार से प्रत्यक्ष तौर पर निधि जुटाने की सुविधा प्रदान की गई है। आइडीआर के परिचालन से निवासी व्यक्ति बिना किसी सीमा के तथा भारत में मुद्रा परिवर्तन के माध्यम से होकर गुजरे बिना विदेशी प्रतिभूति में निवेश कर सकते हैं। सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) तथा अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ) को भी आइडीआर में निवेश करने, खरीदने, रखने और उसे अंतरित करने की अनुमति है।

3.114 एफआइआइ को बाजार के नकदी खंड में अपने लेनदेनों के लिए नकदी के अलावा एएए रेटिंग वाली देशी सरकारी प्रतिभूतियां तथा विदेशी राष्ट्रीय प्रतिभूतियां, भारत स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को संपार्श्विक के रूप में, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई है। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों की क्रॉस-मार्जिनिंग (एफआइआइ द्वारा बाजार के नकदी खंड में किए गए उनके लेनदेनों के लिए मार्जिन के रूप में रखना) की अनुमति बाजार के नकदी एवं डेरिवेटिव खंडों के बीच नहीं दी जाएगी। तरजीही आबंटन सहित शेयरों के निर्गम के संबंध में तथा निवासी से अनिवासी को और इसके विपरीत इक्विटी लिखतों के अंतरण के लिए मूल्यन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।

3.115 बाजार के प्रतिभागियों की मांग का सम्मान करते हुए तथा मुद्रा, घरेलू विदेशी मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूति बाजार के समय के बीच समक्रमण करने की दृष्टि से, 2 अगस्त 2010 से सरकारी प्रतिभूतियों में किए जाने वाले एकमुश्त लेनदेनों तथा टी+1 आधार पर निपटान करने वाले सीबीएलओ बाजारों के लिए बाजार का समय सोमवार से शुक्रवार तक 9.00 बजे तथा 17.00 बजे के बीच होगा। टी+0 आधार पर निपटान वाले इन बाजारों में तथा शनिवार के लिए लेनदेन का समय अपरिवर्तित बना रहेगा। सीडी तथा सीपी के लिए द्वितीयक बाजार लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, 1 जुलाई 2010 से रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे फिम्मडा मंच पर सीडी एवं सीपी में किए गए अपने ओटीसी लेनदेनों की रिपोर्ट बाजार सूचना के ऑनलाइन प्रसारण के लिए ट्रेड के 15 मिनिट के भीतर प्रस्तुत करें।

3.116 पिछले विनियामक ढांचे के अनुसार, यदि एक छमाही में तीन बार एसजीएल अंतरण बाउंस हो जाता है, तो खातेदार को 6 महीने की अवधि के लिए एसजीएल सुविधा के उपयोग से वंचित किया जा सकता है। उक्त दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया तथा जुलाई 2010 में प्रत्येक घटना के लिए 5 लाख रुपए के अधिकतम दंड के अधीन क्रमिक मौद्रिक दंड की प्रणाली निर्धारित की गयी। साथ ही, रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) को 90 दिनों से कम परिपक्वता के लिए जारी नहीं किया जा सकता तथा इसमें ऐसे काल/पुट विकल्प नहीं हो सकते जिनका प्रयोग जारी करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर किया जाना हो।

3.117 जुलाई 2010 में, रिज़र्व बैंक द्वारा जनता के अभिमत के लिए उसकी वेबसाइट पर ओवर-दि-काउंटर (ओटीसी) विदेशी

मुद्रा डेरिवेटिव तथा पण्य कीमत जोखिम एवं भाड़ा जोखिम के विदेशी बचाव से संबंधित संशोधित दिशानिर्देशों का मसौदा डाला गया।

3.118 प्रक्रियागत सरलीकरण संबंधी उपाय के रूप में, भारतीय पक्षकारों द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआइ) हेतु ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली मार्च 2010 से चरणबद्ध रूप में परिचालित की गई है। नई प्रणाली से संदर्भ के प्रयोजनों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यूआइएन), विप्रेषणों की पावती तथा वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) की फाइलिंग ऑनलाइन करना तथा एडी स्तर पर आंकड़े आसानी से प्राप्त करना संभव होगा।

एक्सचेंज ट्रेडेट मुद्रा डेरिवेटिव

3.119 अगस्त 2008 में अमरीकी डालर-आइएनआर में मुद्रा फ्यूचर्स शुरू किए गए। 2009-10 में तीन और मुद्रा युग्म अर्थात यूरो-आइएनआर, जापानी येन-आइएनआर तथा पौंड स्टर्लिंग-आइएनआर शुरू किए गए ताकि भारतीय निवासियों को मुद्रा एक्सपोजर से बचाव के लिए और मार्ग उपलब्ध कराए जा सकें। तथापि, वित्तीय स्थिरता के हित में मुद्रा फ्यूचर्स बाजारों में सहभागिता निवासियों तक सीमित रखी गई है। एक्सचेंज में जिन बचाव साधनों की ट्रेडिंग होती है उनकी वर्तमान प्रसूची का विस्तार करने के लिए, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को निवासियों के लिए हाजिर यूएसडी-आइएनआर विनिमय दर पर प्लेन वनीला मुद्रा ऑप्शन शुरू करने की अनुमति दी गई है। मुद्रा ऑप्शन बाजार समय-समय पर रिज़र्व बैंक तथा सेबी द्वारा जारी किए गए निदेशों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों तथा नियमों के अधीन कार्य करेगा।

11. बैंकों में ग्राहक सेवा

3.120 2009-10 के दौरान, दक्ष ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए बैंकों को संवेदनशील बनाकर बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। रिज़र्व बैंक ने 'आम जनता के लिए' नामक विनिर्दिष्ट पेज में ग्राहकों से संबंधित सभी अधिसूचनाएं तथा प्रेस विज्ञप्तियां डालकर बहुभाषी वेबसाइट के माध्यम से ग्राहक सेवा संबंधी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का प्रसार करने तथा बैंकों द्वारा परिवाद निवारण किए जाने के संबंध में कई कदम उठाए हैं। वाणिज्य बैंकों के ग्राहक भी उक्त वेबसाइट के 'संपर्क करें' रीति के जरिए अपने परिवादों एवं प्रश्नों के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत प्रस्तुत करने के लिए एक शिकायत प्ररूप को भी सक्रिय बना दिया गया है।

3.121 शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, बैंकों से कहा गया कि वे बैंकिंग लोकपाल योजना (बीओएस), 2006 के प्रावधानों के अनुसार शिकायतों के निवारण हेतु संपर्क किए जानेवाले अधिकारियों के नाम के साथ क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त किए गए संबद्ध नोडल अधिकारी के नाम दर्शाएं। बैंक बीओएस के प्रावधानों के अनुसार अपनी वेबसाइटों पर भी यह जानकारी दर्शा सकते हैं।

3.122 1 जुलाई 2010 को ग्राहक सेवा पर एक व्यापक मास्टर परिपत्र जारी किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दे शामिल किए गए, यथा, ग्राहक सेवा, जमा खातों का परिचालन, सेवा प्रभार लगाना, काउंटरों पर सेवा, सूचना प्रकटीकरण, वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों द्वारा खातों का परिचालन, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उपलब्ध सुविधाएं, जमाखातों में अभिभावक बनाना, विप्रेषण, ड्रॉप बॉक्स सुविधा, लिखतों की वसूली, चेकों को नकारना, शिकायतें निपटाना, गलत और कपटपूर्ण लेनदेनों के कारण गलती से राशि नामे डालना, सुरक्षित जमा लॉकर, नामांकन सुविधा, मृत जमाकर्ता/गायब व्यक्ति के दावों का निपटान, अदावी तथा परिचालित खातों में जमाराशियां, ग्राहक के प्रति गोपनीयता संबंधी दायित्व, शाखा में आंतरिक खाते का अंतरण, बैंक बदलना, सीबीडीटी के अधिकारियों का समन्वयन, कार्यदल/समितियों की सिफारिश का कार्यान्वयन, ग्राहकों के प्रति बीसीएसबीआइ की वचनबद्धता संहिता तथा इस संबंध में जारी किए गए अनुदेश। परिपत्र में, निम्नलिखित से संबंधित अनुदेश जारी किए गए - एटीएम से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत करना, आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए न्यास और बहुविध विकलांगता अधिनियम, 1999 के तहत गठित स्थानीय स्तर की समितियों के संबंध में जानकारी दर्शाना और 1 करोड़ तथा उससे अधिक मूल्य के चेकों को बार-बार नकारने की घटना।

3.123 ग्राहक सेवा विभाग (सीएसडी) ने बैंकों द्वारा आवास ऋण एवं चेक वसूली के संबंध में बार-बार पूछे जानेवाले प्रश्न प्रकाशित किए, जिसे आम आदमी की जानकारी के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया है। भारतीय क्रेडिट सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सिबिल) को सूचित किया गया है कि वे बैंकों द्वारा सिबिल को आंकड़े सूचित किए जाने वाले फार्मेट को संशोधित करें ताकि खातों का वर्गीकरण बंद खाते, निपटाए गए खाते, पुनर्रचित खाते तथा अवलिखित खाते के रूप में किया जा सके तथा अलग से हैसियतवाले फील्ड में विशिष्ट फ्लैग तथा तारीखें दी जाएं जिससे एक व्यक्ति के क्रेडिट का इतिहास बेहतर रूप में प्रतिबिंबित हो। इससे पहले, खातों का वर्गीकरण बैंक से निपटान होने के बावजूद 'अवलिखित' के रूप में कर दिया गया था। अब सिबिल की क्रेडिट रिपोर्ट 142 रुपया अदा करने पर ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाती है।

3.124 इंटरनेट संबंधी धोखाधड़ी को टालने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग संबंधी लेनदेन किए जाते समय मॉनिटर पर दावात्याग (यथा बैंक पिन/पासवर्ड की मांग नहीं करता, अतः परिचित न होने पर इंटरनेट संबंधी लेनदेन करने के प्रति सचेत रहें, उससे बचें) दर्शाएं।

3.125 आइबीए ने सभी बैंकों को इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि वे सभी खुदरा उधारों के लिए मूलधन, ब्याज तथा बकाया राशि के विवरणों जैसे ब्यौरे शामिल करते हुए वार्षिक आधार पर उधार संबंधी विवरण उपलब्ध कराएं।

एटीएम संबद्ध शिकायतों के लिए जानकारी दर्शाना

3.126 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे अपने एटीएम स्थलों पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित जानकारी दर्शाएं : (क) एक नोटिस कि शिकायतें उन शाखाओं में प्रस्तुत की जाएं, जहां ग्राहक का वह खाता हो जिससे एटीएम कार्ड संबद्ध हो, (ख) शिकायत प्रस्तुत करने/सहायता मांगने के लिए एटीएम के स्वामी बैंक के सहायता डेस्क/संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों की टेलिफोन संख्या।

3.127 बैंकों को सूचित किया गया कि वे पते तथा अन्य ब्यौरों में बदलाव की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल ग्राहकों के रिकार्ड को अद्यतन करें तथा बिलिंग विभाग के साथ उचित समन्वय भी सुनिश्चित करें। श्री एम.दामोदरन की अध्यक्षता में बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में एक समिति गठित की गई है जो पेंशनभोगियों सहित खुदरा एवं छोटे ग्राहकों को दी जानेवाली बैंकिंग सेवाओं की तथा बैंकों में मौजूद परिवाद निवारण प्रक्रिया, उसके ढांचे एवं दक्षता की जांच करेगी तथा शिकायतों के त्वरित समाधान के उपाय सुझाएगी। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे बैंक में ग्राहक सेवा/ ग्राहकों की देखभाल संबंधी पहलुओं की समीक्षा करें तथा हर छः महीने में एक बार निदेशक मंडल के समक्ष इस संबंध में ब्यौरेवार ज्ञापन प्रस्तुत करें तथा सेवा की गुणवत्ता/ कुशलता संबंधी अंतराल पाए जाने पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करें। साथ ही, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए आग्रह न करें।

3.128 ग्राहकों को चेकों की वसूली में हुई देरी के लिए अथवा दस्तावेज/ प्रतिभूति लौटाने में देयराशि के निपटान से 15 दिनों से अधिक की देरी होने पर मांग किए बिना मुआवजा पाने का हक है। बैंक अब निम्नलिखित के लिए भी वचनबद्ध हैं - ब्याज आय पर लागू आय कर अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करना तथा मीयादी जमाखाता खोलते समय फार्म 15-जी/एच प्राप्त करना, जहां-कहीं लागू हो; किसी खाते को निष्क्रिय/अपरिचालित खाते के रूप में वर्गीकृत करने के पहले खाते के पहले धारक के अलावा संयुक्त धारक/कों को सूचित करना; इस बात का आग्रह न करना कि प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों के लिए बीमा कवर विशेष संस्था से प्राप्त किया जाए; टेलीफोन पर प्रस्तावित एवं स्वीकृत किसी प्रकार की पूर्व-स्वीकृत कर्ज सुविधाओं का संवितरण ग्राहक से लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद ही करना; किसी वसूली एजेंट को उधार का कार्य सौंपने के पहले जांच प्रणाली लागू करना; 30 दिनों के भीतर ग्राहक की शिकायतें निपटाना।

बैंकिंग लोकपाल योजना

3.129 बैंकिंग लोकपाल (बीओ) कार्यालयों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के विरुद्ध परिवादों से संबंधित आम जनता से शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतकर्ताओं को ई-मेल, ऑनलाइन अथवा डाक द्वारा शिकायत भेजने की सुविधा होती है। बीओ कार्यालय शिकायत ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन शिकायतों की ट्रैकिंग करते हैं। 2009-10 के दौरान, पिछले साल प्राप्त 69,117 शिकायतों की तुलना में 15 बीओ कार्यालयों के पास 79,266 शिकायतें प्राप्त हुईं।

12. भुगतान और निपटान प्रणालियां

3.130 अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणाली के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों में प्रगति के महत्व को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के एक स्पष्ट मिशन के साथ कार्य करता है कि देश में परिचालित सभी भुगतान और निपटान प्रणालियां *''निरापद, सुरक्षित, सुदृढ़, सक्षम, अभिगम्य और प्राधिकृत''* हों। उक्त मिशन के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने वर्तमान प्रणालियों की दक्षता सुधारने तथा नयी रीतियों/प्रणालियों के उपयोग का संवर्धन करने के लिए 2009-10 के दौरान कई उपाय किए तथा साथ ही भुगतान प्रणालियों पर परोक्ष एवं प्रत्यक्ष निगरानी के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए भी प्रयास किया।

3.131 भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड (बीपीएसएस) के मार्गदर्शन और निदेशन के तहत, रिज़र्व बैंक की नीतियां भुगतान प्रणालियों के व्यवस्थित विकास का संवर्धन करने के प्रति पारदर्शी एवं अभिमुख रहीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रणालियां दक्ष और निरापद रूप में कार्य कर सकें। इन नीतियों के तहत प्रतिभागियों को कागज आधारित/नकदी चालित भुगतान प्रणालियों से अविघटनात्मक रूप में अधिक निरापद और तीव्रतर भुगतान संबंधी इलेक्ट्रॉनिक रीति की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान प्रणालियों के परिचालन के लिए संस्थाओं को प्राधिकार जारी करने की प्रक्रिया को कठिन तथा इन उद्देश्यों के अनुरूप बना दिया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, पर्याप्त विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी समर्थन एवं अच्छे कारपोरेट अभिशासन वाली संस्थाओं को ऐसी प्रणालियां परिचालित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए। क्रेडिट-डेबिट कार्ड के प्रबंधन, एटीएम नेटवर्क, सीमापार धन अंतरण सेवाओं, तथा पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों के निर्गम के क्षेत्र में विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियां परिचालित करने के लिए सैंतीस संस्थाओं को अब तक प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है। रिज़र्व बैंक ने 2009-12 अवधि को शामिल करते हुए एक भुगतान प्रणाली परिदृष्टि संबंधी प्रलेख तैयार किया है।

कागज़ आधारित भुगतान प्रणालियां

3.132 कागज़ आधारित लेनदेन माइकर और गैर-माइकर दोनों समाशोधन गृहों के जरिए प्रोसेस किए गए कुल लेनदेनों का 60 प्रतिशत हैं। कागज़ आधारित प्रणालियों की सुरक्षितता, निरापदता और दक्षता बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए (i) एक वर्ष की अवधि में एक अविघटनात्मक रूप में उच्च मूल्य वाले समाशोधन को बंद कर दिया गया; (ii) बाहरी चेकों का स्थानीय समाशोधन सुकर बनाने के लिए त्वरित समाशोधन का विस्तार 66 माइकर केंद्रों तक कर दिया गया; (iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चेक छिन्नन प्रणाली (सीटीएस) को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद सभी दक्षिणी केंद्रों को शामिल करते हुए चेन्नै में उसे शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं; (iv) सीटीएस के तहत प्राप्त छबि की अक्षतता बढ़ाने के लिए सीटीएस-2010 नामक एक नया चेक मानक जारी कर सुरक्षा संबंधी न्यूनतम विशिष्टताओं को अधिदिष्ट कर दिया गया, जिसमें कागज की गुणवत्ता, वाटरमार्क, अदृश्य स्याही में बैंक के लोगो तथा चेक के प्ररूपों पर 'वाइड पैंटोग्राफ' को शामिल किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां

3.133 भारत में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां बड़े मूल्य वाली इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां अर्थात तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) और खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां अर्थात राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस और ईसीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) तथा कार्ड भुगतान प्रणालियां हैं। कागज से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में लेनदेनों के बदलाव की प्रवृत्ति 2009-10

में जारी रही। वर्ष के दौरान कुल लेनदेनों में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों का हिस्सा परिमाणवार 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत तथा मूल्यवार 83.9 प्रतिशत से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया । इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों को प्रोत्साहित करने के लिए, ईसीएस/ इनईसीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए प्रोसेसिंग प्रभार माफ करने की अवधि और बढ़ाकर 31 मार्च 2011 तक कर दी गई।

तत्काल सकल निपटान प्रणालियां

3.134 पूरे विश्व में केंद्रीय बैंकों द्वारा आरटीजीएस प्रणाली लागू करने का उद्देश्य उच्च मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान प्रणालियों में जोखिम को न्यूनतम करना है। एक आरटीजीएस प्रणाली में, लेनदेनों का निपटान निरंतर सकल आधार पर केंद्रीय बैंक में धारित खातों के बीच किया जाता है। यह निपटान तत्काल, अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होता है तथा इस प्रकार समय में देरी की वजह से निपटान में होने वाले क्रेडिट संबंधी जोखिमों को समाप्त कर दिया जाता है। भारत ने 2004 में आरटीजीएस प्रणाली शुरू की तथा तब से हर साल इसमें किए गए लेनदेनों का परिमाण तथा मूल्य कई गुना बढ़ रहा है। प्रतिभागियों के परामर्श से रिज़र्व बैंक सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित पहलें की गयी हैं :

- शनिवार को आरटीजीएस लेनदेनों को प्रॉसेस करने के लिए अंतर-बैंक लेनदेनों के समय तथा ग्राहकों के समय में 30 मिनट की वृद्धि की गयी है तथा अब ग्राहकों के लेनदेन के लिए 9.00 बजे से 13.30 बजे तक तथा अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए 9.00 बजे से 15.00 बजे तक का समय उपलब्ध है।
- सेबी द्वारा विनियमित समाशोधन संस्थाओं अर्थात भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (आइसीसीएल) और राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड (एनएससीसीएल) को दिसम्बर 2009 से आरटीजीएस में कारपोरेट बांड लेनदेनों के ओटीसी ट्रेड के निधि संबंधी चरणों का निपटान करने की अनुमति दी गयी है।
- व्याप्ति, प्रयोग तथा प्रौद्योगिकी में बदलाव में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अगली पीढ़ी वाली आरटीजीएस में प्रवेश की शुरुआती पहलें की गयी हैं।

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस)/ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) :

3.135 थोक भुगतानों के लिए एकल नामे/जमा के प्रति बहुल जमा/नामे की ईसीएस सुविधा का विस्तार 89 केंद्रों तक किया गया है। कई स्थानों पर कई बार फाइल करने की बजाय केंद्रीकृत रूप में एकल फाइल प्रस्तुत करने की सुविधा उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) सितम्बर 2008 में शुरू की गयी। वर्ष के दौरान एनईसीएस जमा के माध्यम से प्रॉसेस किए गए लेनदेनों की मात्रा और मूल्य में लगभग दो गुने की तीव्र वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय अधिक बैंकों (116), शाखाओं (लगभग 48,000) तथा प्रणाली में भाग ले रही कम्पनियों की बढ़ी हुई संख्या को जाता है। जुलाई 2010 में, एनईसीएस में 152.92 बिलियन रुपए के 8.10 मिलियन के सर्वाधिक लेनदेन किए गए, जबकि इसकी तुलना में 2009-10 में मासिक औसत 65.10 बिलियन रुपया (मूल्य) तथा 5.92 मिलियन (मात्रा) था।

3.136 राज्य (राजधानी वाले शहर) में एक स्थान से परिचालन करने की सुविधा राज्य सरकारों को देने के लिए, मई 2009 में बेंगलुरु में क्षेत्रीय ईसीएस (आरईसीएस जमा) की संकल्पना लागू की गयी, जिसे अब चेन्नै में भी लागू किया गया है। अन्यथा राज्य सरकारें व्यक्तियों / संस्थाओं को बार-बार किए जाने वाले भुगतानों के लिए विभिन्न शहरों / स्थानीय केंद्रों में उपलब्ध स्थानीय-ईसीएस परिवर्ती का उपयोग कर रही थीं।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली :

3.137 2005 में लागू किए गए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), जो ईएफटी का केन्द्रीकृत रूपांतर है, से निधियों का अंतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी स्थान में करने में मदद मिलती है। बड़ी मात्रा का सफलतापूर्वक निपटान करने में इस प्रणाली को सक्षम बनाने की दृष्टि से एनईएफटी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : (i) ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एनईएफटी के सदस्य बैंक के सेवा केन्द्र में ग्राहक सुविधा केंद्र (सीएफसी) का अधिदिष्ट सृजन। जनता के लाभ के लिए आरबीआइ की वेबसाइट पर सीएफसी की एक डाइरेक्टरी डाली गयी है; (ii) पहले के टी+1 के स्थान पर

एक बैच पूरा होने के दो घंटों के भीतर वापसी को अधिदिष्ट करके एनईएफटी लेनदेनों के लिए वापसी संबंधी अनुशासन को सख्त बनाया गया; (iii) लेनदेनों के लगभग तात्कालिक निपटान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सप्ताह के दिनों में निपटानों की संख्या छः से बढ़ाकर ग्यारह तथा शनिवार को तीन से बढ़ाकर पांच निपटान कर दी गयी; (iv) लाभार्थी के खाते में सफलतापूर्वक राशि जमा किए जाने के लिए एनईएफटी के माध्यम से निधियों के विप्रेषणकर्ताओं को *'सकारात्मक पुष्टि'* भेजने की प्रणाली शुरू की गयी, जो एक अनूठी पहल है।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड तथा एटीएम

3.138 2009-10 के दौरान, बैंकों में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा इंटरनेट पर क्रेडिट /डेबिट कार्डों के उपयोग से उत्पन्न जोखिम कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए; (i) कार्ड पर अनुपलब्ध सूचना के आधार पर इंटरनेट पर क्रेडिट कार्डों के उपयोग के बारे में अतिरिक्त अधिप्रमाणन; (ii) 5,000 रुपए तथा अधिक मूल्य के ''कार्ड की प्रस्तुति के बिना''(सीएनपी) लेनदेनों के लिए कार्डधारकों को ऑनलाइन अलर्ट भेजना; (iii) जनवरी 2011 से टेलीफोन पर किए गए लेनदेनों (आइवीआरएस) के लिए अतिरिक्त अधिप्रमाणन तथा ऑनलाइन अलर्ट की प्रणाली लागू करना; (iv) एटीएम में लेनदेन विफल होने के कारण बैंकों द्वारा गलती से राशि नामे डाले जाने पर ग्राहकों को 12 दिनों के भीतर प्रतिपूर्ति तथा उन्हें इस प्रकार के संवितरण में की गई देरी के लिए प्रति दिन 100 रु. की दर से मुआवजे की स्वतः अदायगी; (v) सभी एटीएम तथा बैंकों की वेबसाइटों पर एक मानकीकृत एटीएम शिकायत टेम्पलेट रखना; तथा (vi) अनुज्ञा-प्राप्त बैंकों द्वारा पीओएस टर्मिनलों पर डेबिट कार्डों का उपयोग कर प्रति दिन 1,000 रुपए तक की नकदी का आहरण करने की अनुमति दिया जाना।

पूर्व-प्रदत्त लिखतें

3.139 पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने एवं उनके लेखांकन के बारे में अप्रैल 2009 में ब्यौरेवार दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों की व्याप्ति का विस्तार करने के लिए, अगस्त 2009 में बैंकेतर संस्थाओं को भी, जिन्हें पहले अनुज्ञा प्रदान नहीं की गई थी, मोबाइल आधारित पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतें जारी करने की अनुज्ञा प्रदान की गई। रिज़र्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त लिखतें जारी करने के लिए 28 बैंकों को अनुमोदन तथा 16 बैंकेतर संस्थाओं को प्राधिकार प्रदान किया।

3.140 ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक/ऑनलाइन भुगतान रीतियों का उपयोग कर उनके द्वारा किया गया भुगतान इस प्रकार का भुगतान पाने वाले मध्यस्थों द्वारा सम्यक् रूप से लेखांकित किया जाएगा, नवंबर 2009 में निदेश जारी किए गए। इन निदेशों में यह अपेक्षा की गई कि इस प्रकार के लेनदेनों के लिए ग्राहकों से प्राप्त निधियों को बैंक के आंतरिक खाते में रखे जाने की जरूरत है तथा मध्यस्थ की पहुँच उस तक नहीं होनी चाहिए।

मोबाइल बैंकिंग

3.141 अक्तूबर 2008 में मोबाइल बैंकिंग के बारे में जारी किए गए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई तथा ई-कॉमर्स और धन अंतरण लेनदेन दोनों के लिए मोबाइल बैंकिंग लेनदेनों की सीमाएं बढ़ाकर 50,000 रुपए करके तथा बैंक खाता नहीं रखनेवाले लाभार्थी को बैंक खाते से 5,000 रुपए तक धन अंतरण सुविधा की अनुज्ञा प्रदान कर दिसंबर 2009 में उन्हें शिथिल किया गया।

विनियामक/पर्यवेक्षणात्मक हस्तक्षेप

3.142 भुगतान प्रणाली संबंधी गतिविधियों की कड़ी निगरानी जारी रखी गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत रिज़र्व बैंक से विशिष्ट प्राधिकार प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति भुगतान प्रणाली का परिचालन न करे। रिज़र्व बैंक ने ऐसे कुछ मामलों में हस्तक्षेप किया तथा बाह्य चेकों की वसूली के लिए प्रभारों पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए कुछ बैंकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।

अन्य गतिविधियां

3.143 भारत अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) की भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) का एक सदस्य है। सीपीएसएस के चार स्थायी/कार्यकारी दलों में भी रिज़र्व

बैंक का प्रतिनिधित्व है, यथा (i) मानकों की सामान्य समीक्षा; (ii)रिपो बाजार संबंधी बुनियादी ढांचा; (iii) व्यापारोत्तर सेवाएं, और (iv) खुदरा भुगतान प्रणालियां। रिज़र्व बैंक ने सार्क संबंधी भुगतान पहलों के तहत भूटान में इलक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली संबंधी बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए रायल मॉनीटरी अथॉरिटी (आरएमए) को निःशुल्क सहायता प्रदान की। जून 2010 में, भूटान में एनईसीएस तथा एनईएफटी प्रणालियां लागू की गईं।

13. प्रौद्योगिकीय गतिविधियां

3.144 वित्तीय प्रणाली के अधिक दक्षतापूर्वक कार्य कर सकने में सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) की भूमिका का और लाभ उठाने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने आइटी संबंधी मूलभूत ढांचे और नए अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन को समाविष्ट करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2011-17 की अवधि के लिए आइटी संबंधी परिदृष्टि तैयार करने के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करना तथा आगे के लिए उपाय सुझाना शामिल है, उप गवर्नर (डॉ. के.सी. चक्रवर्ती) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें आइआइटी, आइआइएम, आइडीआरबीटी, बैंकों और रिज़र्व बैंक से सदस्यों को शामिल किया गया।

हरित आइटी और बैंकिंग क्षेत्र के लिए उसकी सुसंगतता

3.145 हरित बैंकिंग शब्द लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि ज्यादा-से-ज्यादा नागरिक पर्यावरण में मदद करने के तरीके खोज रहे हैं। जहां, हरित बैंकिंग में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं, वहीं कई बैंक हरित बैंकिंग के एक अंग के रूप में अपनी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का संवर्धन कर रहे हैं। पर्यावरण तथा बैंकिंग उद्योग दोनों को लाभ होगा, यदि अधिक संख्या में बैंकों के ग्राहक उपलब्ध ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना शुरू कर दें। ऑनलाइन बैंकिंग के फायदों में काग़जी कार्य में कमी और बैंकों के ग्राहकों द्वारा शाखा कार्यालयों की ओर भागदौड़ में कमी शामिल है, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि ऑनलाइन बैंकिंग से बैंक की दक्षता और लाभप्रदता भी बढ़ेगी। अधिक-से-अधिक ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग किए जाने पर बैंक बहुत सारी काग़जी कार्रवाई संबंधी लागत तथा थोक डाक शुल्क कम कर सकते हैं । हरित बैंकिंग से शाखा बैंकिंग संबंधी व्यय को भी कम कर सकते हैं।(बॉक्स III.3)।

14. विधिक सुधार

3.146 2009-10 के दौरान किए गए विधायी परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

सिक्का ढलाई विधेयक, 2009

3.147 इस विधेयक में (जिसे लोकसभा में 17 दिसंबर 2009 को पेश किया गया) वर्तमान विधियों अर्थात् (i) धातु टोकन अधिनियम, 1889, (ii) सिक्का ढलाई अधिनियम, 1906, (iii) कांस्य सिक्का (विधिमान्य चलार्थ) अधिनियम, 1918, और (iv) छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 को निरस्त करते हुए एक अधिनियम के भीतर सिक्का ढलाई तथा टकसाल संबंधी विधियों को समेकित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में सिक्कों को गलाने या नष्ट करने, गैर कानूनी रूप से उन्हें बनाने, और मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाने वाले धातु के टुकड़ों के निर्गम या कब्जे के बारे में मनाही और दंड लगाने के बारे में भी प्रावधान किया गया है।

स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र (निरस्त) तथा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) संशोधन विधेयक, 2009

3.148 इस विधेयक में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का अभिग्रहण किए जाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अधिनियम, 1950 को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र संबंधी कुछ प्रावधानों को छोड़कर भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 में कतिपय परिणामी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो चुकी है।

प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2010

3.149 इस विधेयक द्वारा 18 जून 2010 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 2010 को प्रतिस्थापित किया जाना है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ भा.रि. बैंक अधिनियम के

बॉक्स III.3: हरित आइटी

हरित कंप्यूटिंग अथवा हरित आइटी से तात्पर्य पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय कंप्यूटिंग अथवा ऐसी आइटी से है जो और अधिक पर्यावरण-अनुकूल हो। हरित कंप्यूटिंग को कंप्यूटरों, सर्वरों और संबद्ध उप प्रणालियों जैसे मॉनीटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, तथा नेटवर्किंग और संचार प्रणाली - की डिजाइनिंग, विनिर्माण, उपयोग और निस्तारण का अध्ययन एवं व्यवहार कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से करने के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जिसका पर्यावरण पर न्यूनतम अथवा कोई प्रभाव नहीं होता हो। आधुनिक आइटी प्रणाली मनुष्यों, नेटवर्क और हार्डवेयर जैसे जटिल मिश्रणों पर निर्भर है, अतः एक हरित कंप्यूटिंग प्रयास में इन सभी क्षेत्रों को कवर किया जाना चाहिए। हरित आइटी के दूसरे पक्ष में अन्य उद्योगों के पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के लिए आइटी सेवाओं के उपयोग को शामिल किया जाता है।

हरित कंप्यूटिंग का उद्देश्य उत्पाद के जीवन काल के दौरान ऊर्जा की बचत को अधिकतम करना और पुराने उत्पादों तथा कारखाना अपशिष्ट का पुनरु पयोग अथवा जैव अपघटन करना है। हरित आइटी से जुड़े सिद्धातों को अपनाने से मिलने वाले लाभ निम्नलिखित होंगे : (i) उपकरणों के कम उपयोग और अधिक कुशलता से परिचालन के माध्यम से ऊर्जा लागत को घटाना, (ii) लागत अकुशलता को कम करने के लिए आइटी प्रक्रिया को कारगर बनाना और पर्यावरण के प्रभाव को कम करना, (iii) लचीले और दूरस्थ स्थान में काम करने वाले अधिक सचल तथा प्रवीण कार्यदल को और समर्थ बनाना, अनावश्यक यात्रा के कारण कार्बन उत्सर्जन को और कम करना, (iv) सभी आकार के संगठन परिचालन लागत और उपस्कर लागत को कम करके लाभ उठा सकते हैं।

ऐसा सुनिश्चित करते समय ताकि इसको कार्य के सभी क्षेत्रों में अमल में लाया जा सके, निम्नलिखित सूचनाएं मददगार होंगी :

आइटी सेवाएं

- ऊर्जा बचाने वाले डेटा केंद्र और डेटा केंद्र में बिजली की खपत के लिए नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत;
- कम ऊर्जावाले संचार और नेटवर्किंग उपकरण तथा कम ऊर्जा खपत वाली कंप्यूटिंग डिवाइसें;

आइटी इंफ्रास्ट्रकचर

- इन-हाउस नए एप्लीकेशन चलाने के बजाय क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर-ऐज-ए-सर्विस सोल्यूशन (एसएएएस) का प्रयोग;
- वर्च्युअल प्राइवेट नेटवर्क जैसी प्रौद्योगिकी और सहयोगी उपकरण विभिन्न स्थानों के कर्मचारियों को एक साथ काम करने में मदद करते हैं;
- सर्वर और स्टोरेज वर्च्युअलाइजेशन;
- एक थिन क्लाइंट स्ट्रेटेजी विकसित करना;

कंप्यूटर और डेस्कटॉप मॉनीटर

- कंप्यूटिंग वर्कस्टेशन, सर्वर, नेटवर्क और डेटा केंद्र के परिगणन के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर प्रभावी बिजली प्रबंधन द्वारा बिजली खपत को घटाना;
- कार्य न करने के विस्तारित घंटों के दौरान सीपीयू और सभी उपकरणों को बंद करना तथा स्टैंडबाई सेटिंग को चालू करना;
- जरूरत के अनुसार लेज़र प्रिंटर जैसे अधिक ऊर्जा खपत वाले उपकरणों को चालू करना और बंद करना;
- केथोड रे ट्यूब (सीआरटी) मॉनीटर के बजाय लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) मॉनीटर का प्रयोग करना;

कागज़

- पेपर की खपत को कम करना;
- रीसाइकल किए गए कागज अथवा बिना लकड़ी वाले कागज का प्रयोग करना, कागज, प्रिंटर और पैकेजिंग अपशिष्ट को समाप्त करना;
- कच्चे नोट के लिए कागजों का पुनरुपयोग करना;

प्रिंटर

- सुनिश्चित करें कि प्रिंटर स्टैंडबाइ मोड में हो, जिसे अल्पावधि के लिए बंद करने के पश्चात चालू किया जाना चाहिए;
- स्वचलित डुप्लैक्स प्रिंटर खरीदे जाएं, डुप्लैक्स प्रिंटिंग को डिफॉल्ट के रूप में रखा जाए अथवा दोनों तरफ प्रिंटिंग के लिए पेपर को हाथ से डाला जाए;

डिजिटल बनिए

- कागज आधारित से डिजिटल प्रोसेस की ओर संक्रमण;
- कार्यालय के दस्तावेज भेजने के लिए हार्ड कॉपी भेजने के बजाय उन्हें अटैच के रूप में संलग्न कर ई-मेल का प्रयोग;

दूरसंचार और सहयोग को बढ़ावा देना

- बैठकों के लिए यात्रा करने के बजाय वेब कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग;
- दूरसंचार के लिए स्टाफ को समर्थ बनाना;

अपशिष्ट प्रबंधन - कम करना, पुनःप्रयोग, रिसाइकल करना

- ई-अपशिष्ट का सही तरीके से निस्तारण;
- कागज के प्रयोग को कम करना और अपशिष्ट कागज को सही तरीके से रिसाइकल करना;
- गैर लाभार्थ संगठनों को दान करना;

अध्याय IIIङ में विनियामकों के बीच किसी प्रकार के मतभेद को दूर करने के लिए एक संयुक्त प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होंगे तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव और सेबी, आइआरडीए एवं पीएफआरडीए के अध्यक्ष उसके सदस्य होंगे। इस विधेयक में अध्यादेश को थोड़ा आशोधित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में, संयुक्त समिति के गठन को आशोधित किया गया है कि ताकि आरबीआइ के गवर्नर को समिति का उपाध्यक्ष बनाया जा सके। इसके अलावा, उस मत विभिन्नता में, जिसे संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है, ऐसी किसी मत विभिन्नता को शामिल नहीं किया जाएगा जो विनियामक और केन्द्र सरकार के बीच उत्पन्न हुई हो। विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि संयुक्त समिति में केवल विनियामकों द्वारा मामला संदर्भित किया जाए और केन्द्र सरकार द्वारा नहीं। विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010

3.150 भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010 के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। विधेयक में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित की व्यवस्था की गयी है (i) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए करना; (ii) एसबीआइ की निर्गमित पूंजी में इक्विटी शेयर अथवा इक्विटी और अधिमान शेयर शामिल करना; (iii) एसबीआइ को अधिमान आबंटन अथवा निजी स्थानन अथवा सार्वजनिक निर्गम अथवा राइट निर्गम के द्वारा निर्गमित पूंजी को बढ़ाये जाने की अनुमति देना; (iv) मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के लिए एसबीआइ को अनुमति देना; (v) केन्द्र सरकार की शेयरधारिता को पचपन प्रतिशत से घटाकर इक्यावन प्रतिशत करना जिसमें निर्गमित पूंजी के इक्विटी शेयर शामिल हों; (vi) व्यक्तियों अथवा संयुक्त शेयरधारकों के पास रखे शेयरों के संबंध में नामांकन की सुविधा प्रदान करना; (vii) अधिमान शेयरधारकों के मताधिकार को केवल उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाले संकल्पों तक सीमित करना तथा केन्द्र सरकार के अलावा अधिमान शेयरधारकों को उनके द्वारा धारित अधिमान शेयरों के संबंध में सभी अधिमान शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रतिबंधित करना; (viii) एसबीआइ के शेयरधारकों द्वारा चुने गये निदेशकों की अर्हताएं विनिर्दिष्ट करना तथा ऐसे निदेशकों के लिए सही और उचित मानदंड अधिसूचित करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्तियां प्रदान करना; (ix) जब भी जरूरी समझा जाए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्तियां प्रदान करना; (x) रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर कुछ मामलों में एसबीआइ के केन्द्रीय बोर्ड को अधिक्रमित करने और एक प्रशासक नियुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार को शक्तियां प्रदान करना; (xi) वीडियो कॉनफरेंसिंग अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से केन्द्रीय बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए स्टेट बैंक को अनुमति देना; (xii) रिज़र्व बैंक के परामर्श से चार से अनधिक प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार को अनुमति देना; (xiii) उपाध्यक्ष के पद को समाप्त करना। यह विधेयक अगस्त 2010 में संसद को दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है।

15. निष्कर्ष

3.151 अर्थव्यवस्था रिकवरी के पथ पर है, जिसकी प्रक्रिया 2009-10 की दूसरी छमाही में शुरू हो गई थी। तथापि, 2009-10 की दूसरी छमाही में प्रमुख समष्टि-आर्थिक चिंता बढ़ती मुद्रास्फीति थी, जिसके लिए मौद्रिक नीति के माध्यम से अनुसरित विभिन्न उद्देश्यों के भारांकों को पुनःसंतुलित करने की जरूरत थी।

3.152 आधार दर प्रणाली को शुरू करने और उसके साथ ही छोटे उधारों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को खत्म करने तथा रुपया निर्यात उधार पर ब्याज दर को मुक्त करने से आशा है कि बैंकों की वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया की आबंटनकारी क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्याज दर अविनियमन से कृषि और छोटे कारोबारों के लिए और अधिक उधार उपलब्ध होगा। विनियामक के रूप में, रिज़र्व बैंक पारदर्शिता, ग्राहक शिक्षा/ जागरूकता तथा कारगर परिवाद निवारण प्रणालियों पर बल देता है। परिवर्तनों की गति एवं जटिलता और उसमें निहित जोखिमों को देखते हुए, एक विनियामक तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों के सुसाध्यकर्ता के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका का अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

3.153 2009-10 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने आइटी संबंधी बुनियादी ढांचा सुधारने, नए अनुप्रयोगों को लागू करने तथा वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को और अधिक मात्रा में अपनाने संबंधी शुरुआती उपाय करने की दिशा में कई पहलें कीं। आइटी ने अभिनव प्रोडक्ट एवं नई सुपुर्दगी प्रणालियां शुरू करना सुकर बनाकर बैंकिंग परिचालनों की गति एवं दक्षता बढ़ाने में मदद की है। बीसी की व्याप्ति को बढ़ाकर वित्तीय समावेशन पर बल दिया गया है। विधिक सुधारों से भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बैंकों के विलय एवं अभिग्रहण और समामेलन में मदद मिली है।